जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

नियम-संग्रह

54248
371.196
RAI-J

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
रायबरेली

(राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ.प्र.)

- 54248
371.196
RAI - J

यह संकलन

अध्यापक शिक्षा की पुनर्रचना एवं पुनर्गठन की आवश्यकता पूर्ति हेतु केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में औपचारिक, अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के विभिन्न स्तर के शिक्षिकों, कार्यकर्ताओं एवं अन्य कर्मियों के शैक्षिक उन्नयन एवं व्यावसायिक-क्षमता में अभिवृद्धि हेतु जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई है।

संस्थानों की संरचना (भौतिक एवं अकादमिक) तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में समय-समय पर शासनादेश तथा निर्देश प्राप्त हुये हैं। अब उपयोगी होगा कि अधिकारियों को कार्यों के निष्पादन हेतु यह आदेश/निर्देश एक स्थान पर सुलभ रहें। मुझे प्रसन्नता है कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान रायबरेली के प्राचार्य श्री संजय मोहन ने इस दायित्व को ग्रहण किया और बड़े परिश्रम से समस्त आदेशों निर्देशों को संजोते हुए एक 'संकलन'' का स्वरूप दिया।

मेरे विचार से यह संकलन बुनियादी कार्य योजनाओं के संचालन में मार्गदर्शक प्रलेख के रूप में सहायक होगा।

हरिप्रसाद पाण्डेय
निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण
परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ

25 मार्च, 1992

दो शब्द

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के सफल संचालन एवं मार्गदर्शन हेतु समय-समय पर महत्वपूर्ण शासनादेश एवं विभागीय आदेश निर्गत किये गये हैं । इन शासनादेशों तथा विभागीय निर्देशों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ० प्र० की सद्प्रेरणा से संस्थान ने इन शासनादेशों एवं विभागीय निर्देशों को संकलित कर "नियम संग्रह" प्रकाशित करने का निर्णय लिया है ।

आशा है, कि प्रकाशित संग्रह संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों एव कर्मचारियों के लिए मार्ग-दर्शक के रूप में उपयोगी सिद्ध होगा ।

इस "नियम संग्रह" का प्रकाशन निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के बहुमूल्य परामर्श एवं मार्ग निर्देशन के फलस्वरूप ही सम्भव हो सका है । इस "नियम संग्रह" के प्रकाशन में परिषद मुख्यालय की श्रीमती रजनी रैना, प्रवक्ता (उत्पादन), श्री एस० सी० वर्मा, प्रवक्ता (उत्पादन) तथा श्री कमर अब्बास शोध सहायक ने अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया है । हम उनके आभारी हैं ।

संजय मोहन
प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
रायबरेली

30 मार्च, 1992

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान - एक परिचय

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त भारत में प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण तथा प्रौढ़ निरक्षरता का उन्मूलन दो महत्वपूर्ण तथा आधारभूत शैक्षिक लक्ष्य रहे हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जहां एक ओर पर्याप्त वित्तीय व भौतिक संसाधनों, सामाजिक सहभागिता और उपयुक्त पाठ्यक्रम/पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर समर्पित व सुयोग्य अध्यापक की उपलब्धता भी आवश्यक है। इन अध्यापकों को उपयुक्त अकादमिक तथा अन्य संसाधन उपलब्ध कराने होंगे जो प्रशिक्षण, मार्गदर्शन तथा शैक्षिक परामर्श के माध्यम से ही सम्भव है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के पूर्व अध्यापक शिक्षा का कार्य जिला स्तर पर स्थित राजकीय दीक्षा विद्यालयों में सेवापूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सम्पन्न हो रहा था। भौतिक, मानवीय एवं अकादमिक संसाधनों के अभाव में यह संस्थायें सेवापूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम के सीमित दायित्व का निर्वहन करने में भी कठिनाई अनुभव कर रही थीं।

प्राथमिक तथा प्रौढ़ शिक्षा के कार्य की व्यापकता को दृष्टिगत रखते हुए यह अनुभव किया गया कि राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर उनके कार्यों में संलग्न संस्थाएँ पर्याप्त नहीं हैं तथा जनपद स्तर पर एक ऐसी इकाई गठित की जानी चाहिए जो इन राष्ट्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान कर सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से जनपद स्तर पर प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के विभिन्न स्तरों के शिक्षकों व अन्य शैक्षिक कर्मियों के शैक्षिक स्तर में सुधार के उद्देश्य से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के सम्बन्ध में प्रसारित दिशा निर्देशन के अनुसार इन संस्थानों की स्थापना का उद्देश्य **to provide academic and resource support at the grass-roots level for the success of the various strategies and programmes being undertaken in the areas of elementary and adult education** है।

प्रत्येक संस्थान के तीन प्रमुख कार्य होंगें :-

1- प्रशिक्षण (सेवापूर्व व सेवारत)
2- प्रसार/परामर्श, शिक्षण व अन्य सामग्री का निर्माण (resource support)
3- क्रियात्मक शोध (action research)

प्रत्येक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में सात विभाग होंगें जिनके कार्य का विवरण निम्नवत् है।

1- **सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा विभाग** :-
[1] प्राथमिक विद्यालय हेतु अध्यापकों के सेवापूर्व प्रशिक्षण का आयोजन।
[2] अधिगमकर्ता केन्द्रित शिक्षा का उत्थान, प्रशिक्षण, विस्तार तथा उपर्युक्त शिक्षा सामग्रियों के विकास द्वारा व्यक्तित्व का विकास करना।
[3] शिक्षण विधियों का सामान्य एवं विशिष्ट उपयोग।

[4] जनपद के विद्यालयों तथा प्रौढ़/अनौ० शिक्षा केन्द्रों को मनोवैज्ञानिक परामर्श एवं निदेशन देना।

[5] विषय वस्तु आधारित सेवारत प्रशिक्षण का आयोजन।

[6] संस्थान के विविध कार्यक्रमों एवं विभागों को विषय आधारित संबल प्रदान करना।

2- कार्यानुभव विभाग :—

[1] स्थानीय सार्थक कार्यानुभव, क्षेत्रों का चयन तथा शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास।

[2] स्व: निर्मित सामग्री का निर्माण तथा मूल्यांकन सामग्री का विकास।

[3] सुनियोजित कार्यानुभव आधारित क्रियाकलापों को विद्यालय में प्रारम्भ कराना तथा शैक्षिक अधिकारियों की सहायता करना।

[4] सामुदायिक सेवा तथा कलात्मक मूल्यों के आधार पर संस्थानों को जीवन्त करना।

3- जिला संदर्भ इकाई विभाग :— (डी० आर० यू०)

[1] प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नियोजन एवं समन्वय में शिक्षा अधिकारियों की सहायता करना तथा संस्थान के बाहर आयोजित कार्यक्रमों में सहयोग देना।

[2] पर्यवेक्षकों हेतु प्रशिक्षण एवं सतत शिक्षा की व्यवस्था करना।

[3] सन्दर्भ व्यक्तियों हेतु पुर्नबोधात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

4- सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम-क्षेत्रीय तथा नवाचार समन्वय विभाग :-

[1] प्राथमिक स्तर के शिक्षकों हेतु सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नियोजन एव समन्वयन, शिक्षा अधिकारियों की सहायता करना

[2] अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों हेतु सेवारत शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

[3] संदर्भ व्यक्तियों के पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण द्वारा संस्थान के अतिरिक्त अन्य केन्द्रों पर सेवारत प्रशिक्षण आयोजित कराने में सहयोग देना।

[4] सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता तथा उपादेयता का मूल्यांकन एवं सतत प्रगति का अनुश्रवण करना।

5- पाठ्यक्रम सामग्री विकास तथा मूल्यांकन विभाग :-

[1] प्राथमिक शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में

प्रचलित तथा नवविकसित विधाओं का समावेश करना।

[2] पाठ्यक्रम इकाइयां तथा शिक्षण अधिगम इकाइयों का विकास तथा जनपद के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों हेतु कक्षा–1, 2 के स्तर से जनजाति भाषा में प्राइमर का निर्माण करना।

[3] सतत मूल्यांकन हेतु तकनीक तथा दिशा निर्देश का विकास करना।

[4] परीक्षण/प्रश्न बैंक रेटिंग स्केल तथा निदानात्मक परीक्षण उच्चारात्मक कार्यक्रमों हेतु दिशा निर्देशों का कार्यशालाओं द्वारा निर्धारण।

[5] प्रौढ़ शिक्षा / अनौपचारिक शिक्षा हेतु डी० आर० यू० की सहायता करना।

6– शैक्षिक तकनीकी विभाग :—

[1] संस्थान से सम्बन्धित स्टाफ तथा सन्दर्भ व्यक्तियों के सहयोग से सरल प्रभावी तथा अल्प कीमत के शिक्षण सामग्री, चार्ट, माडल फोटोग्राफ, स्लाइड, आडियों टेप, नाटक, आलेख का निर्माण करना।

[2] जिला सन्दर्भ इकाई में अल्प कीमतों के शिक्षण सामग्रियों के निर्माण में सहायता करना।

[3] निम्नांकित सामग्रियों का अनुश्रवण करना :–

क– संस्थान के समस्त श्रव्य दृश्य उपकरणों का रखरखाव

ख– कम्प्यूटर लैब।

ग– संस्थान तथा संस्थान के बाहर उत्तम तथा अल्प कीमत आधारित शिक्षण सामग्रियों का प्रदर्शन।

घ– दृश्य श्रव्य कैसेट के लाइब्रेरी का रखरखाव।

7– नियोजन एवं प्रबन्ध विभाग :-

[1] जनपदीय विविध शैक्षिक सूचना आंकड़ों का रखरखाव तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों की सम्प्राप्ति हेतु नियोजन तथा क्रियान्वयन के अनुश्रवण में सहायक सिद्ध होना।

[2] नीति विषयक परामर्श हेतु अध्ययन के आधार हेतु शैक्षिक नियोजको प्रशासकों तथा जिला परिषदों को जनपद स्तर पर शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु सहायता प्रदान करना।

प्रत्येक संस्थान में शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के स्वीकृत पदों का विवरण निम्नवत् हैं :—

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	प्रत्येक जनपद के लिए स्वीकृत पदों की संख्या
1.	प्राचार्य	रु० 3000-100-3500-125-4750	1
2.	उप प्राचार्य	रु० 3000-100-3500-125-4500	1
3.	वरिष्ठ प्रवक्ता	रु० 2200-75-2800-द.रो.-100-4000	6
4.	प्रवक्ता	रु० 1600-50-2300 द.रो.-60-2660	17
5.	सांख्यकीकार	रु० 1400-40-1800-द.रो.-50-2300	1
6.	कार्यानुभव शिक्षक	-तदैव-	1
7.	तकनीकी सहायक	-तदैव-	1
8.	कार्यालय अधीक्षक	रु० 1400-40-1600-50-2300-द.रो.-60-2600	1
9.	पुस्तकालयाध्यक्ष	-तदैव-	1
10.	लेखाकार	रु० 1400-40-1800--द.रो.-50-2300	1
11.	आशुलिपिक	रु० 1200-30-1560--द.रो -40-2040	1
12.	लिपिक	रु० 950-20-1150द.रो.-25-1500	9
13.	प्रयोगशाला सहायक	रु० 950-20-1150-द.रो.-25-1500	2
14.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	रु० 750-12-870-द.रो -14-940	5
		कुल पद	48

इन संस्थानों को सभी प्रकार के भौतिक संसाधन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। संस्थान का लगभग 10 एकड़ का परिसर होगा जिसमें मुख्य प्रशासनिक भवन, छात्रावास तथा स्टाफ क्वार्टर्स की भी व्यवस्था होगी। प्रत्येक संस्थान मे पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर कक्ष, शैक्षिक तकनीकी से सम्बन्धित सामग्री व अन्य शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। यह सभी संसाधन भारत सरकार की शत-प्रतिशत सहायता से उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में प्रथम तथा द्वितीय चरण में क्रमश: 20-20 जनपदों तथा तृतीय चरण में 22 जनपदों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा चुकी है। अनेक जनपदों में भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष में निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रथम दो चरणों में स्थापित संस्थानों में उपकरण क्रय करने की कार्यवाही लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और प्रथम चरण में स्थापित संस्थानों में कम्प्यूटर उपलब्ध करा दिये गये हैं।

यह संस्थान सेवापूर्व तथा सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम, शैक्षिक शोध, विचार गोष्ठियों तथा कार्यशालाओं के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में अभिवृद्धि करने, पाठ्यक्रम में सुधार करने तथा शिक्षा की नवीन विधाओं को शिक्षा का अभाज्य अंग बनाने के लिए सतत् रूप से प्रयत्नशील हैं।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

1. पृष्ठभूमि :

प्रदेश के शैक्षिक स्तरोन्नयन, विविध शोध, अध्ययन, प्रशिक्षण कार्यों के विकास तथा शैक्षिक संस्थाओं, आयोजकों एवं शिक्षकों के मार्ग दर्शन के उद्देश्य से भारत सरकार की नीति एवं सुझाव के आलोक में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सितम्बर 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई जिसे प्रदेश के शैक्षिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम के रूप में लिया जाना चाहिए।

2. गठन :

परिषद के सुचारु संचालन, शैक्षिक कार्यक्रमो के नियोजन, स्तरोन्नयन विस्तार और प्रचार-प्रसार के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित नौ सदस्यीय समिति निम्नवत् है :-

--शिक्षा मंत्री	अध्यक्ष
--शिक्षा सचिव	उपाध्यक्ष
--वित्त सचिव या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
--राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के प्रतिनिधि	सदस्य
--राष्ट्रीय योजना एवं प्रशासन संस्थान के प्रतिनिधि	सदस्य
--शिक्षा निदेशक, उ० प्र०	सदस्य
--श्री श्रीनिवास शर्मा सेवा निवृत्त शिक्षा निदेशक	नामित सदस्य
--श्रीमती हेमलता स्वरूप भूतपूर्व उपकुलपति	नामित सदस्य
--निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ० प्र०	सदस्य सचिव

3. उद्देश्य और कार्य क्षेत्र :

परिषद के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इसके बहुआयामी कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नांकित उद्देश्यों की संकल्पना की गई है :--

- शैक्षिक स्तरोन्नयन एवं विकास के लिए स्वयं अनुसंधान करना, अनुसंधानों का समन्वयन एवं क्रियान्वयन करना तथा इन्हें प्रोत्साहन देना।
- उच्च स्तरीय सेवापूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था।
- शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में विद्यालय विस्तार सेवा में संलग्न संस्थाओं को परामर्श।
- उन्नत शैक्षिक विधियों और कार्य-क्रमों से विद्यालयों तथा शैक्षिक आयोजकों को अवगत कराना।

- अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य के शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षिक संस्थाओं और अभिकरणों से सहकार एवं सहयोग।
- विद्यालय स्तरीय शिक्षा सम्बन्धी नवाचारों, अभिनव प्रवृत्तियों, प्रविधियों, सूचनाओं आदि का संग्रह और प्रचार।
- राज्य प्रशासन तथा अन्य संगठनों को विद्यालय स्तरीय शैक्षिक स्तरोन्नयन के सम्बन्ध में परामर्श।
- पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री तथा अन्य उपयोगी साहित्य का निर्माण तथा प्रकाशन।
- ऐसे सभी कार्यों का सम्पादन जिन्हें परिषद अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक और लाभप्रद समझे।
- राज्य सरकार द्वारा संदर्भित शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण सम्बन्धी अन्य कार्यों का सम्पादन।

4. परिषद के विभाग :

परिषद के अन्तर्गत निम्नांकित विभाग अपने-अपने क्षेत्रों के अनुसंधान, विकास प्रशिक्षण, विस्तार, मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यों का निष्पादन करते हैं :--

1. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग तथा अनौपचारिक शिक्षा एकक।
2. मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग।
3. विज्ञान और गणित विभाग।
4. मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग।
5. हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग।
6. अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषा विभाग।
7. श्रव्य-दृश्य और शिक्षा प्रसार विभाग।
8. शैक्षिक तकनीकी विभाग।
9. प्रकाशन विभाग।
10. पाठ्यक्रम और मूल्यांकन विभाग।
11. शैक्षिक प्रशासन एवं नियोजन विभाग।
12. व्यवसायपरक शिक्षा विभाग।
13. अध्यापक शिक्षा विभाग--जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान।
14. विज्ञानकिट निर्माणशाला।

इन विभागों में से कुछ विभाग जैसे प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, विज्ञान और गणित विभाग, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग, श्रव्य-दृश्य और शिक्षा प्रसार विभाग, अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषा विभाग तथा विज्ञानकिट निर्माणशाला इलाहाबाद में स्थित हैं जहां शिक्षा विभाग का मुख्यालय हैं। हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, वाराणसी में स्थित है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निदेशक परिषद के प्रशासनिक कार्यालय के अतिरिक्त प्रकाशन विभाग, शैक्षिक तकनीकी विभाग, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन विभाग, शैक्षिक प्रशासन और नियोजन विभाग तथा व्यवसायपरक शिक्षा विभाग कार्यरत हैं।

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना विषयक शासनादेश

प्रथम चरण

पृष्ठ सं0

1. भारत सरकार का पत्रांक एफ. 2-20/87
टी.ई. (डेस्क) दिनांक 23.3.88
(20 संस्थानों की स्वीकृति) 1

2. भारत सरकार का पत्रांक एफ. 244/88-डेस्क
(टी. ई.) दिनांक 19-5-88 11
(20 स्थानों हेतु आवर्तक स्थान की स्वीकृति)

3. शासनादेश सं0 1147/15 (13)/88-1499 (46)87 15
टी0 सी0 दिनांक : 29-11-88
(रु0 172.94 लाख की स्वीकृति)

4. शासनादेश सं0 255/15 (13)/89-1499 (46)/87 17
टी0 सी0 दिनांक : 16-3-89
(संस्थानों के लिये कर्मचारी वर्ग की स्वीकृति)

5. शासनादेश सं0 259/15 (13)/89-1499 (46)/87 19
दिनांक : 28-3-89
(11 जनपदों में संस्थान भवन निर्माण हेतु रु0 3,63,52,000/- की स्वीकृति)

6. शासनादेश सं0 689/15-(13)/90-1499(45)/90 39
दिनांक : 18-5-90
(11 संस्थानों हेतु मेण्टर्स का नामित किया जाना ।)

7. शासनादेश सं0 759/15(13) 44
दिनांक : 28-6-90
(11 प्राचार्यों को कार्यालयाध्यक्ष घोषित किया जाना ।)

8. शासनादेश सं0 1813/15 (13)/90-1499 (46)/87 51
टी0 सी0 दिनांक : 17-11-90
पदों का सततीकरण ।

9. भारत सरकार का पत्रांक : एफ0 2-20/87-टी0 ई0 । 54
(निर्माण कार्यों हेतु रु0 363.59 लाख की स्वीकृत)

10. शासनादेश सं0 429/15(13)/91-1499(46)/87 61
टी0 सी0 दिनांक : 20-4-91
पदों का वर्ष 91-92 में सततीकरण।
11. शासनादेश सं0 2279/15(13)/90-1499(44)/90 70
(7 संस्थानों के भवन निर्माणार्थ रु0 2,06,29,000 की स्वीकृति)
12. शासनादेश सं0 501/15(13)/92-1499(46)/87 81
टी0 सी0 दिनांक : 23-3-92
(पदों का वर्ष 92-93 में सततीकरण)
13. शासनादेश सं0 155/15(13)/92-1499(44)/90 87
दिनांक 27-3-92
(इटावा तथा मेरठ के संस्थान भवनों हेतु वित्तीय स्वीकृति)
14. शासनादेश सं0 621/15 (13)/92-1499(44)/90 93
दिनांक : 27-3-92
(11 संस्थानो के भवनों हेतु रु0 16,35,800/- की स्वीकृति)

द्वितीय चरण :

— भारत सरकार का पत्रांक : एफ0 2-20/87-टी0 ई0 I 23
दिनांक : 30-3-89
(20 संस्थानों की स्वीकृति)
— शासनादेश सं0 110/15-(13)/90-1469(47)/90 37
दिनांक : 12-3-91
(रु० 1,34,00,000 की स्वीकृति)
— शासनादेश सं0 1736/15 (13)/90-1499(55)99 48
(संस्थानों के लिए कर्मचारी वर्ग की स्वीकृति)
— शासनादेश सं0 764/15(13)/91-1499 (79)/90 64
दिनांक : 15 5-91
(8 संस्थानों के भवन निर्माणार्थ रु० 77.66 लाख की स्वीकृति)
— शासनादेश सं0 1184/15 (13)/91-1499(55)/99 67
दिनांक : 21-5-91
(पदों का वर्ष 1991-92 में सततीकरण)
— शासनादेश सं0 1483/15(13)/91/1499(98)/90 73
दिनांक : 28-11-91
(प्राचार्य, संस्थान हरदोई/रायबरेली को कार्यालयाध्यक्ष घोषित किया जाना)

— शासनादेश सं0 2181/15 (13)/91-1499 (98)/90 74
दिनांक : 28-11-91
(प्राचार्य, संस्थान हरदोई/रायबरेली को आहरण एवं वितरण अधिकारी घोसित किया जाना)

— शासनादेश सं0 787/15-(18)/92-1499(55)/90 84
दिनांक : 24-3-92
(पदों का वर्ष 1992-93 में सततीकरण)

— शासनादेश सं0 375/15 (13)/92-1499(79)/90 90
दिनांक : 27-3-92
(11 संस्थान भवनों हेतु वित्तीय स्वीकृति)

— भारत सरकार का पत्रांक : एफ० 2-20/87-टी0 ई0-I 33
दिनांक : 29-6-89
(20 संस्थानों हेतु भवन निर्माणार्थ रु0 25,063 की स्वीकृति)
(प्राचार्यो को आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित किये जाने के सम्बन्ध में)

विविध

— शासनादेश सं0 779/15(13)/90-1499(46)/87 41
टी0 सी0 दिनांक : 16-6-90
(प्राचार्य, उप प्राचार्य एवं वरिष्ठ प्रवक्ता के पदों पर चयन करने हेतु गठित समिति)

— शासनादेश सं0 780/15(13)/90-1499(46)/87 43
टी0 सी0 दिनांक : 16-6-90
(प्रवक्ता के पदों पर चयन करने हेतु गठित समिति)

— शासनादेश सं0 1242/15(13)/90 45
दिनांक : 6-8-90
(परामर्शदात्री समिति का गठन)

— निदेशक, परिषद का पत्र सं0 रा शै/5979-119/90-91 46
दिनांक : 22-8-90
प्राचार्यो को आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित किये जाने के सम्बन्ध में

— निदेशक, परिषद का सं0 रा शै/10221-391/90-91 56
दिनांक : 29-11-90
(क्रय समिति का गठन)

— शासनादेश सं0 2170/15-(13)/90-1499(82)90 58
दिनांक : 3-12-90
(प्राचार्यो को नियुक्त प्राधिकारी घोषित किया जाना)

— शासनादेश सं0 2214/15-(13)/90-1499(82)/90 60
(निदेशक, परिषद को नियुक्त प्राधिकारी घोषित किया जाना)

तृतीय चरण :

— भारत सरकार का पत्रांक : एफ0 2-20/87 टी0 ई0-I 75
दिनांक : 2)-1-92
(22 संस्थानों की स्वीकृति)

No. F. 2-20/87-TE (Desk)
Government of India
Ministry of Human Resource Development
(Department of Education)

New Delhi, the 23rd March, 1988

To,

The Principal Accounts Officer
Ministry of Human Resource Development
Department of Education,
New Delhi

Subject—**Centrally Sponsored Scheme of Teacher Education Setting up of District Institutes of Education and Training—Uttar Pradesh**

Sir,

I am directed to state that a meeting of the State Level Empowered Committee for U. P. constituted in connection with the Centrally Sponsored Scheme of Teacher Education (hereafter referred to as 'the Scheme,) was held at Lucknow on 22-1-1988 to consider the perspective Plan and individual projects prepared by the State Government Task Force for the DIETS component of the Scheme. In the light of the decisions of the Empowered Committee. I am directed to convey the approval of the Government of India to the upgradation, on project basis, of the following 20 Government Elementary Teacher Education Institutions (ETEIS) of U. P. into District Institutes of Education and Training (DIETs) to serve the districts mentioned against their names :

Sl. No.	Name of ETEI	District
1.	Government Regional Institute of Education (For men) Nishatganj Lucknow.	Lucknow
2.	Government Normal School (Women), Unnao	Unnao
3.	Government Normal School (Men), Manjhanpur	Allahabad
4.	Government Normal School (Men), Ajitmal	Etawah
5.	Government Normal School (Men), Faridpur	Bareillly
6.	Government Normal School, Bisalpur	Pilibhit
7.	Government Normal School, Baruasagar	Jhansi
8.	Government Normal School, Charkhari	Hamirpur
9.	Government Normal School, Faizabad	Faizabad
10.	Government Normal School. Payagpur	Bahraich
11.	Government Normal School, Kanth	Moradabad
12.	Government Normal School, Chhota Mewana	Meerut

Sl. No.	Name of ETEI	District
13.	Government Normal School, (For Women), Bulandshahar	Bulandshahar
14.	Government Normal School, Sarnath	Varanasi
15.	Government Normal School, Pakwainar	Ballia
16.	Government J. T. C., Gorakhpur	Gorakhpur
17.	Government J. T, C., Agra	Agra
18.	Government Normal School, Boad	Mathura
19.	Government Normal School, Bhimtal	Nainital
20.	Government Normal School, Didihat	Pithoragarh

Central assistance for various items of **Non recurring expenditure** for the above projects would be available to the extent shown in Annex I

2. In connection with above projects, I am also direct to convey the sanction of the President to the payment of the **first instalment of Central assistance** to the Government of Uttar Pradesh for various items of non-recurring expenditure to the extent shown below. :—

	Project	Amount of Central assistance sanctioned for payment to the State Government. (Rs. in Lakhs)		
		Civil Works	*Equipment*	*Total*
1-	Lucknow	23.69	8.52	32.21
2-	Unnao	16.67	8.52	27.19
3-	Allahabad	16.97	8.52	25.49
4-	Etawah	10.84	10.00	20.84
5-	Bareilly	20.44	8.52	28.96
6-	Pilibhit	16.13	8.50	24 63
7-	Jhansi	19.52	8.52	28.04
8-	Hamirpur	24.83	8 52	33.35
9-	Faizabad	19.40	8 52	27.92
10-	Baharich	21.18	8.52	29.70
11-	Moradabad	13.01	8 47	21.48
12-	Meerut	12.84	8.47	21.31
13-	Bulandshahar	23.80	8.47	32.27
14-	Varanasi	18.05	8.47	26.52
15-	Balia	14.18	8.47	22.65
16-	Gorakhpur	10.86	10.00	20.86
17-	Agra	20.54	8.52	29.06
18-	Mathura	21..42	8.47	29 89
19-	Nainital	17.34	8.47	25.81
20-	Pithoragarh	19.81	8.47	28.80
	Total	363-52	172-94	536-46

(Rupees Five Crores thirtysix lakhs and fortysix thousand only)

The balance amount of central assistance for civil works as also assistance for hostel equipment will be released on receipts of report of project-wise utilisation of grants from the State Government to the extent of 75%of the first instalment being hereby released and corresponding physical progress of work.

3. The government of India is also pleased to approve that each of the above 20 DIETs will have posts as indicated in Annex II. Pay scale of these posts will be determined by the State Government, keeping in view the guidelines circulated vide D. O. letter No. F. 7-7/87-IE I dated 26-10-1987 from Shri Y. N. Chaturvedi, Joint Secretary of this department. A copy of every such order specifying pay scale will be endorsed to this department. The posts at present existing in the institutions selected for upgradation will as the case may be, upgraded, retained or abolished, and additional posts to the extent necessary will be created by the State Government so that the DIETs have the complement of staff indicated in Annex I. For items of recurring expenditure, that is pay and allowarcees of the staff as per Annex. II and expenses incurred in organising various programmes in the DIETs, Central assistance will be provided upto the end of 1989-90 to the extent of actual requirements reducen by the level of amount already being spent by the State Government on the institutions during the year 1987-88. The amount of Central assistance for recurring items of expenditure for the year 1988-89 will be released seperately.

4. The above grant of Central assistance is subject to the following conditions :—

i) Projects will be implemented and expenditure incurred in confirmity with the guidelines circulated to all state Governments vide D. O. letter No. 7-7/87/TE. I dated 26-10-87 from Shri Y. N. Chaturvedi. Joint Secretary of this Department and such other guidelines as may be circulated in future.

ii) Recruitment of staff will be done according to the eligibility criteria recommended in Annex. IV of the above guidelnes. Staff will be recruited as early as possible and will be assured a minimum tenure of 3 years pending final decision by the State Government on the question of forming a seperate can for DIETs of the state.

iii) All new buildings will be designed and constructed the most economical manner possible. In particular, all efforts will be made to construct hostel building having inmate capacity indicated in Annex. I, within the amount of central assistance indicated there in suitable innovative designs, techniques and building material will be used to achieve this objective. in any case building work will be taken up and execute in such a manner as to be completed within the cost ceiling indicated in Annex. I.

iv) The responsibility for maintenance of buildings and equipment to be constructed/procured by the State Government with Central assistance being hereby provided shall rest entirely with the State Government.

V) The State Government shall get developed standared lists and specification for the following categories of equipments for the DIETs of the State and all the parchases shall be made according to such standard lists/specification :—

(a) Library Books
(b) Lab. Equipment
(c) Equipment for work experience
(d) Audio-visual Aids and other educational aids
(e) Computer configuration

Copies of standard lists/specifications developed as above will be sent to this Department and to the Head, Department of Teacher Education, NCERT, New Delhi within a month from the issue of this sanction.

vi) The amount of grant shall be utilised only for the purpose for which it is sanctioned and the unspent balance of the grant shall be refunded by the State Government, after the close of the financial year, unless permission is granted for its being carried forward for utilisation for the same purpose during the next year.

vii) A Copy of every order of the State Government according administrative approval or financial sanction for any item of non-recurring expenditure (including orders concerning posts) in connection with the above projects will be endorsed to this Department.

5. The expenditure of Rs. 536.46 lakhs will be debited to Demand No. 44 Department of Education Major Head "3601" F. Grants-in - aid to State Governments F-2 Grants for Central Plan Schemes F. 2 (1) (1)-Strengthening of Teacher Training Institution (plan) 1987-88.

6. The pattern of grant/expenditure has been approved by the Ministry of Finance. This sanction is being issued in confermit with the rules and principles of the scheme as approved by the Ministry of Finance.

7. This issues with the concurrence of IF-I vide their Dy. No 3092-O/88-IF-I dated 15.3.88

Yours faithfully
D. P. Bhatnagar
Desk Officer

Copy forwarded for information and necessary action to :

1. Director of Audit, Central Revenues, (Special Cell), New Delhi.
2. The Education Secretary, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
3. The Accountant General (Audit), Uttar Pradesh, Allahabad.
4. IFD/IF-I Section/EC Unit (Local),
5. Director (Planning) (Local)
6. Adviser (Education), Planning Commission, New Delhi,
7. Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Finance Department, Lucknow.
8. The Director of school Education, Lucknow.
9. Director, NCERT/NIEPA/Audit Education, New Delhi
10. Head, Department of Teacher Education, Special Education and Extension Services NCERT, New Delhi.
11. Field Adviser, NCERT, Uttar Pradesh, Allahabad.
12. Guard File.

D. P. Bhatnagar
Desk Officer

Annex. I to Ministry of Human Resource Development (Department of Education)
Letter No. F. 2-20/87-Desk (TE), dated 23-3-1988

Amount of Central assistance approved for Non-recurring items of expenditure for DIET Projects of the State of Uttar Pradesh

ITEM	Project 1 Lucknow	Project 2 Unnao	Project 3 Allahabad	Project 4 Etawah	Project 5 Bareilly
1	2	3	4	5	6
1. Civil Works :			(Rs. in Lakhs)		
i) Basic amenities	0.95	0.53	0.70	0.80	0.75
ii) Special fepairs	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00
iii) New Construction :					
a) Instt. Bladg. (Aca + Admn. Wings)	12.04	13.92	10 79	11,42	11.10
b) Hostel	22.50	12.00	12.00	—	18.60
(Number of Seats)	(150)	(80)	(80)	—	(124)
c) Staff Quarters	9.89	9.89	9.45	7.95	9.43
d) Total New Construction (a + b + c)	44.43	35.81	32 24	19,37	39 13
iv) Total (1) Civil Works (i + ii + iii)	47.38	37.34	33.94	21 67	40.88
2. Equipment					
i) Books	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
ii) AV Aids	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86
iii) Lab. & Workshop Equipment	1 55	1.55	1.55	1.55	1.55
iv) Phy. Edn., Sports & Music Equipment	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
v) Computers	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
vi) Hostel Equipment	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48
vii) Furniture for Non-hostel purpose	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
viii) Other Equipment	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16
ix) Total (2)—Equipment	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
3. Total — Non-Recurring—Items 1 + 2	57.38	47.34	43.94	31.67	50.88

— Contd. —

ITEM	Project 6 Pilibhit	Project 7 Jhansi	Project 8 Hamirpur	Project 9 Faizabad	Project 10 Bahraich
1	7	8	9	10	11
1. Civil Works :			(Rs. in Lakhs)		
i) Basic amenities	0.44	0.69	0.46	0.75	0.45
ii) Special repairs	0.60	1.80	0 90	1.50	1.50
iii) New Construction :					
a) Instt. Bldg. (Aca + Adm. Wings)	9.78	12.20	15 64	13,45	13.22
b) Hostel	12.00	15.30	25.20	18.60	18.60
c) Staff Quarters	9.45	9.06	7.46	4.51	8.60
d) Total New Construction (a + b + c)	31.23	36.56	48.30	36.56	40.42
iv) Total (1) Civil Works (i + ii + iii)	32.27	39.05	49.66	38.81	42.37
2. Equipment					
i) Books	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
ii) AV Aids	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86
iii) Lab. & Workshop Equipment	1.53	1.55	1.55	1.55	1.55
iv) Phy. Edn., Sports & Music Equipment	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
v) Computers	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
vi) Hostel Equipment	1.50	1.48	1.48	1.48	1.48
vii) Furniture for Non-hostel purposes	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
viii) Other Equipment	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16
ix) Total (2)—Equipment	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
3. Total — Non-Recurring—Items 1 + 2	42.27	49.05	59.66	48.81	52.37

ITEM	Project 11 Moradabad	Project 12 Meerut	Project 13 Bulandshahar	Project 14 Varanasi	Project 15 Balia
1	12	13	14	15	16
1. Civil Works :			(Rs. in Lakhs)		
i) Basic amenities	0.50	0.44	0.75	0.42	0.45
ii) Special repairs	0.50	—	2.50	1.00	0.15
iii) New Construction :					
a) Instt. Bldg. (Aca + Adm. Wings)	10.32	11.73	10.32	10.48	11.89
b) Hostel	8.40	6.00	24.60	18.00	12.00
(Number of Seats)	(56)	(40)	(164)	(120)	(80)
c) Staff Quarters	6.31	7.51	9.43	6.21	3.87
d) Total New Construction (a + b + c)	25.03	25.24	44.35	34.69	27.76
iv) Total (1) Civil Works (i + ii + iii)	26.03	25.68	47.60	36.11	28.36
2. Equipment					
i) Books	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
ii) AV Aids	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86
iii) Lab. & Workshop Equipment	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
iv) Phy. Edn., Sports & Music Equipment	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
v) Computers	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
vi) Hostel Equipment	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
vii) Furniture for Non-hostel purposes	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
viii) Other Equipment	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16
ix) Total (2)—Equipment	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
3. Total — Non-Recurring—Items 1 + 2	36.03	35.68	57.60	46.11	38.36

ITEM	Project 16 Gorakhpur	Project 17 Agra	Project 18 Mathura	Project 19 Nainital	Project 20 Pithoragarh
1	17	18	19	20	21
1. Civil Works :			(Rs. in Lakhs)		
i) Basic amenities	0.40	0.80	0.95	0.53	0.60
ii) Special repairs	0.20	2.00	1.06	0.18	1.00
iii) New Construction :					
a) Instt. Bldg. (Aca + Adm. Wings)	11.88	7.50	14.15	11.37	18.06
b) Hostel	—	27.60	17 70	15.00	15.00
(Number of Seats)		(144)	(118)	(100)	(100)
c) Staff Quarters	9.24	9.79	8.98	7.61	4.96
d) Total New Construction (a + b + c)	21.12	38.29	40.83	33 98	38.02
iv) Total (1) Civil Works (i + ii + iii)	21.72	41.09	42.84	34.69	39.62
2. Equipment					
i) Books	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
ii) AV Aids	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86
iii) Lab. & Workshop Equipment	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
iv) Phy. Edn., Sports & Music Equipment	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
v) Computers	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
vi) Hostel Equipment	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
vii) Furniture for Non-hostel purposes	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
viii) Other Equipment	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16
ix) Total (2)—Equipment	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
3. Total – Non-Recurring—Items (1 + 2)	31.72	57.09	52.84	44.69	49.62

Annex, II to Ministry of Human Rasource Development,
(Department of Education) Letter No. F. 2-20/87 Desk (TE),
Dated 23-3-1988,

Statement of posts approved r DIET for Uttar Pradesh

Branch	Name of post	
	Principal	1
1- PSTE	1- Sr. Lect	1
	2- Lects.	7
2- ISPES	1- Sr, Lect,	1
	2- Lect,	1
	3- Glerk	1
2- DRU	1- Vice-Principal	1
	2- Lect., AE	2
	3- Lect., NFE	2
	4- Clerk	2
4- P & M	1- Sr. Lect.	1
	2- Lect.	1
	3- Statistician	1
5- ET	1- Sr. Lect.	1
	2- Lect.	1
	3- Technician	1
6- WE	1- Sr. Lect.	1
	2- Lect.	1
	3- WE Teache-	1
7- C & E	1- Sr. Lect.	1
	2- Lect.	2
8- ADMN	1- OS	1
	2- Librarian	1
	3- Accountant	1
	4- Steno	1
	5- Clerks	6
	6- Lab, Assttf.	2
	7- Class IV	5
	TOTAL	48

(●)Wherever the eixsting number of Class IV posts is an ETEI being upgraded is more than five, they may be continued entirely at the state Government's cost as at present,

No, F. 244/88-Desk. (TE)

Government of India

Ministry of Human Resource Development

(Department of Education)

New Delhi, dated the 19th May, 1980

To,

The Principal Accounts Officer,

Ministry of Human Resource Development,

(Department of Education),

New Delhi,

Subjuct :-Centrally Sponsored Scheme of Teacher Education Release of ad-hoc recurring grant in connection with 92 District Institutes of Education and Training projects sanctioned for the States of Orissa, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Jammu & Kashmir, Kerala, Rajasthan, Arunachal Pradesh, Tamil Nadu, West Bengal, Gujarat, Assam, Punjab and Uttar Pradesh,

ir,

I am directed to say that vide various letters of this Department quoted column 3 of the nnex. approval of the Goverment of India and Sanction of first instalment of Central ssistance for non-recurring items of expenditure have been accorded for a total of 92 projects r upgradation of existing Elementry Teacher Education Institutions into DIETs in the States f Orissa, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Jammu & Kashmir, Kerala, Rajasthan, Arunaial Pradesh, Tamil Nadu, West Bengal, Gujarat, Assam Punjab and Uttar Pradesh

2. For the 92 DIETs being set up as above, I am directed to convey the sanction of the resident to the payment of ad-hoc initial Central assistance for recurring items of expenditure r 1988-89 (being the estimatad amount of Central assistance required for one quarter), the extent shown in column 5 of the Annex, totalling 2-76 crores (Rupees two crores and venty six lakhs only). The full amount of Central assistance for recurring items of expendire for 1988-89 will be released on receipt of DIET wise report from the state Governments the progress of creation and filling up of various posts in these institutions and underking of various activities envisaged for the DIETs. While releasing Central assistance for curring items for the full year 1988-89, the adhoc assistance being hereby sanctioned will be justed.

3- The above grant of adhoc central assistance is subject to the following conditions :

(i) projects will be implemented and expenditure incurred in conformity with the guidelines for the scheme circulated to all State Government vide D. O. letter No. F 17-7/87-Desk (TE-1) dated 26-10-87 of Shri Y. N. Chaturvedi, Joint Secretary of this Department, and such guidelines as may be circulated, in future.

(ii) Recruitments of staff to academic posts will be made according to the terms and conditions laid down in the earlier sanction letter quoted in Col. 3 of the Annex.

(iii) A copy of every order of the State Government according administrative approval or financian sanction for any item of recurring expenditure (including orders concerning posts) in connection with the above projects will be endorsed to this Department.

(iv) The amount of grant shall be utilised only for the purpose for which it is sanctioned and the unspent balance of the grant if any, at the end of 1988-89 shall be refunded by the State Government. after the close of that financial year. unless permission is granted for its being carried for its being carried forward for utilisation for the same purpose during the following financial year.

4- The expenditure of Rs. 2.76 crores will be debited to Demand No. 46 - Department of Education - Major Head "3.07" F Grants-in-aid to the State Governments, F. 2-Grants for Central Plan Schemes, F. 2(1)(7)-Strengthening of Teacher Training Institution, (Plan) - 1988-89.

5- The pattern of grant/expenditure has been approved by the Ministry of Finance. This sanction is being issued conformity with rules and principles of the scheme as approved by the Ministry of Finance.

6- The payment in case of Government of Jammu & Kashmir only will be made by a crossed "Account Payee" cheque in favour of the Secretary, Government of Jammu & Kashmir, Finance Department, at Baba Kharak Singh Marg, New Delhi.

7- This issue with the concurrence of IF.I vide Dy. No. 5623-0/88/IF. I dated 16-5-88

Yours faithfully
(D. P. Bhatnagar)
Desk Officer

Copy forwarded for information and necessary action to :

1- Director of Audit, Central Revenues (Spl. Cell), New Delhi.

2- The Education Secretaries of Orissa, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Jammu & Kashmir, Kerala, Rajasthan, Arunachal Pradesh, Tamil Nadu, West Bengal, Gujarat Assam, Punjab and Uttar Pradesh.

3- IFD/IF-1/EC Unit/Director (Planning)

4- Advisor (Education), Planning Commission, New Delhi.

5- Secretaries, Government of Orissa, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Jammu & Kashmir, Kerala, Rajasthan, Arunachal Pradesh, Tamil Nadu, West Bengal, Gujrat Assam, Punjab and Uttar Pradesh, Finance Department.

6- Directors of SCERTs of Orissa, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Jammu & Kashmir, Kerala, Rajasthan. Arunachal Pradesh, Tamil Nadu, West Bengal, Gujarat Assam, Punjab and Uttar Pradesh.

7- Directors of Elementary Education of Orissa, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh Jammu and Kashmir, Kerala, Rajasthan, Arunachal Pradesh, Tamil Nadu, West Bangal, Gujarat, Assam, Punjab and Uttar Pradesh.

8- Accountant General (Audit) of Orissa, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Jammu & Kashmir, Kerala, Rajasthan, Arunachal Pradesh, Tamilnadu, West Bengal, Gujarat Assam, Punjab and Uttar Pradesh.

9. Director, NCERT/NIEPA/Adult Education, New Delhi.

0. Head. Department of Teacher Education and Extension Services NCERT, New Dehli.

1 Field Advisor, NCERT, of Orissa, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Jammu & Kashmir, Kerala, Rajasthan, Arunachal Pradesh, Tamil Nadu, West Bangal, Gujarat Assam, Punjab & Uttar Pradesh.

2- Guard File

3- AE-1

D. P, Bhatnagar
Desk Officer

Annex : I to Ministry of Human Resource Development (Department of Education) Letter No. F. 2-4/88-Desk (TE), dated 19-5-1988

Sl. No.	Name of the State	No. and date of this Department's letter according approval for DIET Projects and sanctioning first instalment of of assistance for non-recurring items	No. of up-gradation DIET Projects sanctioned	Ad-hoc instalment of recurring Central assistance for 1988-89 being now released for the DIET projects mentioned in Col. 4 (Rs. in Lakhs)
1	2	3	4	5
1.	Andhra Pradesh	F. 2-1/87/Desk (TE) dated 11-2-88	4	27 00
2.	Madhya Pradesh	F. 2-10/87/Desk (TE) dated 24-2-88	15	45.00
3.	Kerala	F. 2-9/87/Desk (TE) dated 24-2-88	2	6.00
4.	Orissa	F. 2-15/87/Desk (TE) dated 11-2-88	5	15.00
5.	Rajasthan	F. 2-17/88/Desk (TE) dated 2-3-88	7	21.00
6.	Jammu & Kashmir	F. 2-7/87/Desk (TE) dated 24-2-88	5	15.00
7.	Arunachal Pradesh	F. 2-23/87/Desk (TE) dated 16-2-88	1	3.00
8.	Tamil Nadu	F. 2-19/87/Desk (TE) dated 18-3-88	7	21.00
9.	West Bengal	F. 2-22/87/Desk (TE) dated 18-3-88	5	15.00
10.	Gujarat	F. 2-4/87/Desk (TE) dated 21-3-88	7	21.00
11.	Assam	F. 2-2/87/Desk (TE) dated 22-3-88	6	18.00
12.	Punjab	F. 2-16/87/Desk (TE) dated 23-3-88	3	9.60
13.	Uttar Pradesh	F. 2-20/87/Desk (TE) dated 23-3-88	20	60.00
		Total for 13 States	92	276.00

(Total Rupees Two crores and Seventy Six Lakhs only)

संख्या—1147/15(13)/88-1499(46)/87 टी० सी०

प्रेषक,

श्री ए० के० विश्नोई
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,
उ० प्र०, 6 माल एवेन्यू,
लखनऊ ।

शिक्षा (13) अनुभाग **लखनऊ दिनांक 29 नवम्बर, 1988**

विषय—केन्द्र पुरोनिधानित जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना' योजना के अन्तर्गत साज सज्जा एवं उपकरणों के क्रय हेतु अनावर्तक व्यय की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अ0 शा0 प0 सं0-रा0 शै0/10863/88-89 दिनांक 3 अगस्त, 1988 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने केन्द्र पुरोनिधानित "जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संथानों की स्थापना" योजना के प्रथम चरण में वर्ष 1988-89 में प्रदेश के लखनऊ, उन्नाव, इलाहाबाद, इटावा, बरेली, पीलीभीत, झांसी, हमीरपुर, फैज़ाबाद, बहराइच, मुरादाबाद, मेरठ, बुलन्दशहर, वाराणसी, बलिया, गोरखपुर, आगरा, मथुरा, नैनीताल तथा पिथौरागढ़ जिलों के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान/राजकीय दीक्षा विद्यालयों में स्थापित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के पुस्तकालयों के लिये पुस्तके, दृश्य-श्रव्य उपकरण, लेबोरेटरी एवं वर्कशाप उपकरण, शारीरिक शिक्षा, खेल तथा संगीत शिक्षा के उपकरण, कम्प्यूटर्स, हास्टल इक्विपमेन्ट, फर्नीचर एवं अन्य कार्यालयी व्यवस्था, फोटो कापियर, टाइपराइटर, तथा डुप्लीकेटर आदि के क्रय के लिये रु० 1,72,94,000/-(रुपये एक करोड़ बहत्तर लाख चौरान्नवे हजार मात्र) का अनावर्तक व्यय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-एफ0 2-10/87-टी0 ई0 (डेस्क), दिनांक 23 मार्च, 1988 में उल्लिखित निर्देशों तथा प्रदेश शासन के स्टोर्स पर्चेज नियमों के अनुसार किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है ।

- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदान प्रशिक्षण कार्यक्रम-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (शतप्रतिशत)-20-मशीन और सज्जा उपकरण और संयन्त्र" के नामे लिखा जायेगा ।

3— यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं जो उनकी अशासकीय संख्या-ई-11-3200/88 दिनाँक 28 नवम्बर, 1988 के द्वारा प्राप्त हुई है।

भवदीय
[ए० के० विश्नोई],
संयुक्त सचिव

संख्या–1147[1]/15[13]/88–1499 [46]/87 टी० सी०, तद् दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1– संयुक्त सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, [शिक्षा विभाग] को उनके पत्र संख्या एफ० 2-2987 टी० टी० [डेस्क], दिनाँक 23 मार्च, 1988 के सन्दर्भ में।

2— शिक्षा निदेशक [बेसिक] उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3— शिक्षा निदेशक [माध्यमिक], उत्तर प्रदेश, शिविर कार्यालय, लखनऊ।

4— मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

5— नियोजन अनुभाग 4

6— वित्त [व्यय नियंत्रण] अनुभाग-1।

7— वित्त संसाधन [केन्द्रीय सहायता] अनुभाग।

8— वित्त [आय-व्ययक] अनुभाग-2

आज्ञा से
(ए० के० विश्नोई)
संयुक्त सचिव

संख्या-255/15-[13]/89-1499 [46]/87 टी0 सी0

प्रेषक,

श्री ए0 के0 विश्नोई
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवम्
प्रशिक्षण परिषद, उ0 प्र0,
लखनऊ ।

शिक्षा [13] अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 16 मार्च, 1989**

विषय :— केन्द्र परोनिधानित शिक्षक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले जिला शिक्षण एवम् प्रशिक्षण संस्थानों के लिए कर्मचारी वर्ग की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- रा0 शै0/8053-57/88-89, दिनांक 24 जून, 1988 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने केन्द्र पुरोनिधानित जिला शिक्षण एवम् प्रशिक्षण संस्थानों [डिस्ट्रिक्ट इन्स्टीट्यूट्स आफ एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग] की स्थापना योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 20 जिलों लखनऊ, उन्नाव, इलाहाबाद, इटावा, बरेली, पीलीभीत, झांसी, हमीरपुर, फैजाबाद, बहराइच, मुरादाबाद, मेरठ, बुलन्दशहर, वाराणसी, बलिया, गोरखपुर, आगरा, मथुरा, नैनीताल तथा पिथौरागढ़ में संचालित **क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान/राजकीय दीक्षा विद्यालय** के प्रांगण में **जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों** की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त संस्थानों में नियुक्ति की तिथि से दिनांक 28 फरवरी, 1990 तक के लिए निम्नलिखित पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान कर दी है, यदि ये पद इससे पूर्व ही विना किसी सूचना के समाप्त नही कर दिये जाते :—

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	उपर्युक्त में से प्रत्येक जनपद के लिये स्वीकृत पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1—	प्राचार्य /	रु० 1360-60-1720-द0 रो0-60-1900-75-2125	20	1
2—	उप प्राचार्य /	रु० 1250-50-1300--60-1600 द0 रो0-60-1900-75-2050	20	1
3—	वरिष्ठ प्रवक्ता	रु0 850-40-1050-द0 रो0-50-1300-60-1420-द0 रो0-60-1720	120	6
4—	प्रवक्ता	रु0 650-30-830-द0रो0-50-920-	340	17

		40-1040-द0 रा0-40-1080-50-1280		
5-	सांख्यिकीकार	रु० 540-15-600-20-640-द० रो०-20 760-द० रो०-30-910	20	1
6-	कार्यानुभव शिक्षक	— तदेव —	20	1
7-	तकनीकी सहायक	— तदेव —	20	1
8-	कार्यालय अधीक्षक	रु० 570-25-770-द० रो०-30-980-द० रो०-30-1100	20	1
9-	पुस्तकालयाध्यक्ष	— तदेव —	20	1
10-	लेखाकार	रु० 515-15-590-18-626-द० रो०-18-680-20-788-द० रो०-20—860	20	1
11-	आशुलिपिक	रु० 470-15-575-द० रो०-15-650-17-701-द० रो०-17-735	20 20	1 1
12-	लिपिक	रु० 354-10-424-द० रो०-10-454-12-514-द० रो०-12-550	180	9
13-	प्रयोगशाला सहायक	— तदेव —	40	2
14-	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	रु० 305-5-330-द० रो०-6-360-द० रो०-6--390	100	5

2— उक्त सभी पद **निस्सम्वर्गीय होंगे** और इन पर नियुक्तियाँ शासन के शिक्षा विभाग तथा अन्य शासकीय विभागों के उपर्युक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की **प्रतिनिध द्वारा** अथवा **बाहर से कान्ट्रैक्ट पर भी की जा सकेगी।** इन पदों पर नियुक्तियों का चयन, **चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित** निर्देश शासन द्वारा अलग से निर्गत किये जायेगे।

3— उपर्युक्त पैरा—1 में उल्लिखित पदों के पदाधारकों को इनमें से प्रत्येक के साथ उल्लिखत वेतन मानों में उनके वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अन्तर्गत देय महगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी अनुमन्य होंगे।

4— उपरोक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन हैं कि इन पदों पर होने वाला व्यय **वर्ष** 1989-90 **के लेखानुदान एवं** तत्सम्बन्धी विनियोग अधिनियम द्वारा उपलब्ध हो जाने तथा उसके बाद व्यय मूल आय-व्ययक एवं तत्सम्बन्धी विनियोग अधिनियम द्वारा पूर्ति हो जाय।

5- उपर्युक्त व्यय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-68 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक '2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनागत-80-जनपदीय प्रशिक्षण कार्यक्रम-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (शत प्रतिशत)' के नाम लिखा जायगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं जो उनकी अशासकीय संख्या-ई-11/363/दस-86, दिनांक 16 मार्च, 1988 के द्वारा प्राप्त हुई।

भवदीय,

(ए० के० विश्नोई)

संयुक्त सचिव

संख्या—255(1)/15(13)/89-1499(46)/87टी० सी०

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ/इलाहाबाद।
3- शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- सम्बन्धित जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक।
6- सम्बन्धित मण्डलीय उपशिक्षा निदेशक।
7- सम्बन्धित जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी।
8- सम्बन्धित जिलों के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान/राजकीय दीक्षा विद्यालय।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11
10- नियोजन अनुभाग-4
11- शिक्षा (3) अनुभाग
12- श्री के0 एम0 आचार्य, उप सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

आज्ञा से,

(ए० के० विश्नोई)

संयुक्त सचिव

संख्या — 259/15—[13]/89—1499[46 /87

प्रेषक,

श्री अनुज कुमार विश्नोई
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता [भवन]
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
लखनऊ

शिक्षा [13] अनुभाग — लखनऊ, दिनांक 28 मार्च, 1989

विषय:—केन्द्र पुरोनिधानित "जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना" योजनान्तर्गत प्रथम चरण में में प्रदेश के 11 जनपदों में संचालित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान/राज्य दीक्षा विद्यालयों के प्रागण में उपलब्ध भूमि पर भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ के पत्रांक सा0 नि0 वि0/16435/दस-ए [29]/88-89, दिनांक 24 नवम्बर, 1988, सा0नि0वि0/3376/दस-ए [29]/88

-89, दिनांक 20 दिसम्बर, 1988, सा0नि0वि0/3409/दस-ए-[29]/88-89, दिनांक 27 दिसम्बर, 1988 तथा सा0नि0वि0/3700/दस-ए-[29]/88-89, दिनांक 30 दिसम्बर, 1988 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ हैं कि राज्यपाल महोदय "केन्द्र पुरोनिधानित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना योजना के प्रथम चरण में निम्न विवरण के अनुसार प्रदेश के लखनऊ, उन्नाव, बरेली, पीलीभीत, झांसी हमीरपुर, बहराइच, वाराणसी, बलिया, आगरा तथा मथुरा जिलों में संचालित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान/राजकीय दीक्षा विद्यालयों के प्रांगण में उपलब्ध भूमि पर कुल 3,79 87,800 रुपये (रुपये तीन करोड़ उन्नासी लाख सत्तासी हजार आठ सौ मात्र) की अनुमानित लागत पर भवन, छात्रावास तथा स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु प्रशासकीय तथा तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

क्र0 सं0	क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान/ राजकीय दीक्षा विद्यालय	जनपद	वर्ष 1988 89 में व्यय किये जाने वाली धनराशि	कार्य की लागत
1-	राजकीय दीक्षा विद्यालय, पकवाईनार	बलिया	21,11000	22,11000
2-	राजकीय दीक्षा विद्यालय वाराणसी	वाराणसी	28,47,900	2947900
3-	जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान	लखनऊ	38,59,800	40,49,800
4-	राजकीय दीक्षा विद्यालथ बरुआसागर	झांसी	31,30,900	33,30,900
5-	जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण केन्द्र कोशलपुर	पीलीभीत	26,82,500	27,82,500
6-	राजकीय प्रशिक्षण संस्थान, फ़रीदपुर	बरेली	33,24,000	35,24,000
7-	राजकीय प्रशिक्षण संस्थान	आगरा	34,42,000	35,42,000
8-	जिला प्रशिक्षण केन्द्र	हमीरपुर	47,58,100	49,76,000
9-	राजकीय प्रशिक्षण संस्थान	उन्नाव	31,18,000	32,18,000
10-	राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र, प्रयागपुर	बहराइच	30,21,700	31,21700
11-	राजकीय दीक्षा विद्यालय बाढ़	मथुरा	40,66,100	42,84,000
		कुल योग—	3,63,52,000	3,79,87,800

(रु0 तीन करोड़ तिरसठ लाख बावन हजार मात्र)

2— उक्त निर्माण कार्य तभी आरम्भ किया जाये जब स्वीकृति लागत के भीतर बने विस्तृत आगणन पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान कर दी जाये।

3— इस सम्बन्ध में मुझे यह भी स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है कि उपर्युक्त 11 जिलों में डी0आई0ई0टीज" के भवनों के निर्माण के लिए अपेक्षित रुपया 3,79,87,800/- की धनराशि में से उपर्युक्तानुसार स्वी-

कृति के पश्चात् अवशेष रही रु0 16,35,800/- की धनराशि की स्वीकृति से सम्बन्धित आदेश बाद में निर्गत किये जायेंगे।

4— उपर्युक्तानुसार होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय - व्ययक की अनुदान संख्या - 74 के लेखा शीर्षक "4202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत-01-सामान्य शिक्षा-600-सामान्य-01-केन्द्रीय आयोजनागत-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-भवन निर्माण—0101 जिला एवं प्रशिक्षण संस्थानों हेतु भवनों का निर्माण—लखनऊ, उन्नाव, बरेली, पीलीभीत, झांसी हमीरपुर, बहराइच, वाराणसी, बलिया, आगरा तथा मथुरा जिलों में छात्रावास तथा क्वार्टरों का निर्माण" के नाते डाला जायेगा तथा इस सम्बन्ध में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि 1601 केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान—03— केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान—22—सार्वजनिक निर्माण विभाग—2201—शिक्षा विभाग" के अन्तर्गत जमा किया जायेगा।

5— ये आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं जो उनकी अशासकीय संख्या-ई08/825/दस-/89, दिनांक 27 मार्च, 1989 के द्वारा प्राप्त हुई है।

भवदीय

(ए० के० विश्नोई)

संयुक्त सचिव

संख्या—250 [1]/15—13]/89—1499 [46]/87, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1– महालेखाकार, प्रथम, ए० एण्ड ई०, उ० प्र०, इलाहाबाद ।

2– उप सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय [शिक्षा विभाग] शास्त्री भवन नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या-एफ०–2–20–/87–टी० ई० [डेस्क], दिनांक 23 मार्च, 1988 तथा एफ०-2–1/87–टी० ई० [डेस्क], दिनाँक 26 दिसम्बर, 1988 के सन्दर्भ मे सूचनार्थ प्रेषित ।

3– शिक्षा निदेशक, माध्यमिक एवं बेसिक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

4– शिक्षा [3] अनुभाग ।

5– कोषाधिकारी, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ कि उक्त धनराशि को 30 जून, 1989 तक आवश्यक व्यय कर लिया जाय ।

6– वित्त [व्यय नियंत्रण] अनुभाग – 8

7– वित्त संसाधन [केन्द्रीय सहायता[अनुभाग ।

8– नियोजन अनुभाग–4

9– निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवम् प्रशिक्षण परिषद, उ० प्र० लखनऊ ।

आज्ञा से

(ए० के० विश्नोई)

संयुक्त सचिव

No. F, 2-20/87-TE-I
Government of India
Ministry of Human Resource Development
(Department of Education)

New Delhi, the 30th March, 1989

To,

The Principal Accounts Officer
Ministry of Human Resource Development,
Department of Education,
New Delhi

Subject—**Centrally Sponsored Scheme of Teacher Education Setting up of District Institutes of Education and Training—Uttar Pradesh**

Sir,

I am directed to state that a meeting of the State Level Empowered Committee for U. P. constituted in connection with the Centrally Sponsored Scheme of Teacher Education (hereafter referred to as 'the Scheme') was held at Lucknow on 13-3-89 to consider the Perspective Plan and individual projects prepared by the State Government Task Force for the DIETs component of the Scheme. In the light of the decisions of the Empowered Committee. I am directed to convey the approval of the Government of India to the upgradation, on project basis, of the following 20 Government Elementary Teacher Education Institutions (ETEIs) of U. P. into District Institutes of Education and Training (DIETs) to serve the districts mentioned against their names :

Sl. No.	Name of ETEI	District
1-	Government Normal School, Fatehpur	Fatehpur
2-	Government Normal School, Narwal	Kanpur Nagar
3-	Government Normal School, Chitramau	Farrukhabad
4-	Government Normal School, Dadraul	Shahjehanpur
5-	Government Normal School, Lalitpur	Lalitpur
6-	Government Normal School, Rampur	Rampur
7-	Regional Institutes of Education, Muzaffarnagar	Muzaffarnagar
8-	Government Normal School, Robertsganj	Mirzapur
9-	Government Normal School, Hathras	Aligarh
10-	Regional Institute of Education, Almora	Almora

11-	G. Government Normal School, Hardoi	Hardoi
12-	Government Normal School, Ganeshpur	Barabanki
13-	G. Government Normal School, Jaunpur	Jaunpur
14-	Government Normal School, Hapur	Ghaziabad
15-	G. Government Normal School, Badaun	Badaun
16-	G. Government Normal School, Dehradun	Dehradun
17-	G. Government Normal School, Rae Bareli	Rae Bareli
18-	Government Normal School, Bhogaon	Mainpuri
19-	Government Normal School, Banda	Banda
20-	Government Normal School, Roorkee	Hardwar

Central assistance for various items of non-recurring expenditure for the above projects would be available to the extent shown in Annex I

2. In connection with above projects, I am also directed to convey the sanction of the President to the payment of the first instalment of Central assistance to the Government of Uttar Pradesh for various items of non-recurring expenditure to the extent shown below :

	Project	Amount of Central assistance sanctioned for payment to the State Government. (Rs. in Lakhs.)		
		Civil Works	Equipment	Total
1.	Fatehpur	6.44	6.70	13-14
2.	Kanpur Nagar	8 40	6.70	15-10
3.	Farrukhabad	5.64	6.70	12.34
4-	Shahjehanpur	5.57	6.70	12.27
5-	Lalit pur	7.60	6.70	14.30
6-	Rampur	7.80	6.70	14.50
7-	Muzaffarnagar	8.60	6.70	15.30
8-	Mirzapur	6.76	6 70	13.46
9-	Aligarh	10.00	6.70	16.70
10-	Almora	9.60	6.70	16.30
11-	Hardoi	10 20	6.70	16.90
12-	Barabanki	7.60	6.70	14.30
13-	Jaunpur	8.84	6.70	15.54
14-	Ghaziabad	7.72	6.70	14.42
15-	Badaun	8 40	6.70	15.10
16-	Dehradun	8.00	6.70	14.70
17-	Rae Bareli	12.00	6.70	18.70
18-	Mainpuri	7.40	6.70	14.10
19-	Banda	11.65	6.70	18.35
20-	Hardwar	11.65	6.70	18 35
	Total	169.87	134.00	303.87

(Rupees three Crores three lakhs and eighty seven thousand only)

The balance of central assistance for Civil Works as also assistance for hostel equipment will be released on receipt of reports of project-wise utilisation of grants from the State Government to the extent of 75% of the first instalment being hereby released and corresponding physical progress of work. Assistance for computer equipment will be released after necessary arrangements are made for its proper use by way of provision of dust-free accommodation, trained manpower etc.

3- The Government of India are also pleased to approve that each of the above 20 DIETs will have posts as indicated in Annex.II.Pay scales of these posts will be determined by the State Government keeping in view the guidelines circulated vide D. O. letter No F. 7-7/87-TE I dated 26-10-1987 from Shri Y. N. Chaturvedi, Joint Secretary of this Department. A copy of every such order specifying pay scales will be endorsed to this department. The post of present existing In the institutions selected for upgradation will, as the case may be, upgraded, retained or abolished, and additional posts to the extent necessary will be created by the State Government, so that the DIETs have the complement of staff indicated in Annex. II For items of recurring expenditure, that is pay and allowances of the staff as per Annex, II, and expenses incurred in organising various programmes in the DIETs, Central assistance will be provided upto the end of 1987-88 to the extent of actual requirements reduced by the level of amount a ready being spent by the State Government on the institutions during the year 1987-88. The amount of Central assistance for recurring items of expenditure for the year 1988-89 will be released separetely.

4- The above grant of central assistance is subject to the following conditions :

(i) projects will be Implemented and expenditure incurred in conformity with the guidelines circulated to all State Government vide D. O. letter No. 7-7/87- TE-1 dated 26-10-87 of Shri Y. N. Chaturvedi, and d.o. letter No. F.2-38/87-TE I dt. 22-2-89of Shri J. Sagar Joint Secretaries of this Department, and such other guidelines as may be circulated, in future.

(ii) Recruitment of staff will be done according to the eligibility criteria recommended in Annex. IV of the above Guidelines. Staff will be recruited as yearly as possible. and will be assured a minimum tenure of three years pending final decision by the State Government on the question of forming a separate cadre for DIETs of the State.

iii) All new buildings will be designed and constructed in the most economical manner possible. In particular, all efforts will be made to construct Hostel

buildings having inimate capacity indicated in Annex I, within the amount of central assistance indicated therein. Suitable innovative designs, techniques and building material will be used to achieve this objective. If any case, building works will be taken up and executed in such a manner as to be compeleted within the cost celling indicated in Annex I.

iv) The responsibility for maintenance of buildings and eduipment to be construted/procurred by the State Government with Central assistance being hereby provided shall rest entirely with the State Government.

v) The State Government shall get developed standared lists and speccification for the categories of equipment as specified in Annex-I of the sanction letter Copies of standard lists/specifications developed as above will be sent to this Department and to the Head Department of Teacher Education, NCERT, New Delhi within a month from the issue of this sanction.

(vi) The amount of grant shall be utilised only for the purpose for which it is sanctioned and the unspent balance of the grant shall be refunded by the State Government after the close of the financial year, unless permission is granted for its being carried forward for utilisation for the same purpose during the next year.

(vii) A copy of every order of the State Government according administrative approval or financial sanction for any item of non-recurring or recurring expenditure (including orders concerning posts) in connection with the above projects will be endorsed to this Department.

viii) Hostel to be constructed with the assistance beirg hereby sanctioned shall be used primarily for accomodating serving teachers coming for in-service training programme of upto a month's duration, and will be used for persons undergoing larger duration courses only to the extent they are not needed for the former category of in-service programmes, which would be organised on the scale envisaged in the guidelines.

5- The expenditure of Rs. 303.87 lakhs will be debited to Demand No. 46 - Department of Education - Major Head "3601" F, Grants-in-aid to the State Governments, F. 2-Grants for Central Plan Schemes, F. 2(1)(7)-Strengthening of Teacher Training Institution, (Plan) - 1988-89. Additional funds will be provided by re-appropriation in due course.

6- The pattern of grant/expenditure has been approved by the Ministry of Finance. This sanction is being issued in conformity with the rules and principles of the scheme as approved by the Ministry of Finance.

7- This issue with the concurrence of IF.I Vide their Dy. No. 3949/89-IF. Idated 29-3-88

Yours faithfully
(Miss L. Sailo)
Under Secretary

Copy forwarded for information and necessary action to :

. Director of Audit, Central Revenues, (Special Cell), New Delhi

2. The Education Secretary, Government of Uttar Pradesh, Lucknow

3. The Accountant General (Audit), Uttar Pradesh, Allahabad

4. IFD/IF-I Section/EC Unit (Local), T.E.I./AE-I/AE-III

5. Director (Planning) (Local)

6. Adviser (Education), Planning Commission, New Delhi,

7. Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Finance Department, Lucknow

8. The Director of school Education, Lucknow.

9. Director, NCERT/NIEPA/Adult Education, New Delhi

10. Head, Department of Teacher Education, Special Education and Extension Services NCERT, New Delhi

11. Field Adviser, NCERT, Uttar Pradesh, Allahabad

12. Guard File.

13. Collector & District Magistrate/District of Fatehpur/Kanpur Nagar/Farrukhabad/Shahjehanpur/Lalitpur/Rampur/Muzaffarnagar/Mirzapur/Aligarh/Almora/Hardoi/Barabanki/Jaunpur/ Ghaziabad / Badaun/Dehradun/Mainpuri/ Rae Bareli/Banda/Hardwar' Uttar Pradesh.

(Miss L. Sailo)
Under Secretary

Annex-Ii to Ministry of Human Resource Development (Department of Education) Letter No. F, 2-20/87-TE-I, dated 30-3-1989

Amount of central assistance approved for non-recurring items of expenditure for DIET projects of the State of Uttar Pradesh

	Item	Project 1 Fatehpur	Project 2 Kanpur Nagar	Project 3 Farrukhabad	Project 4 Shahjehanpur
		(Repees in Lakhs)			
1-	**Civil Works**				
i)	Basic Amenities (water, electricity, waste disposal etc.) on the institution campus	0.50	0.70	0.50	0.50
ii)	Special Repairs	1.00	1.80	1.00	2.00
iii)	New construction :				
	a- Institute building (academic & Adm. Wing)	12.00	13.50	13.50	13.50
	b- Hostel Buiiding	13.20	22.00	13.20	—
	(No. of Seats)	(100)	(100)	(60)	—
	c- Staff Quarters	5.60	4.00	—	—
	d- Total - New constn.	30.80	39.50	26.70	13.50
iv)	Total Civil Works	32.30	42.00	28.20	16.00
2-	**Epuipment (Including Furniture)**				
i)	Library (books, furniture & Equipment)	2.00	2.00	—	—
ii)	Labs. for Science & Psychology	1.20	1.20	—	—
iii)	Social Studies & Languages	0.10	0.10	0.10	0.10
iv)	Work Experience	0.12	0.12	0.12	0.12
v)	Physical Education	0.20	0 20	0.20	0.20
vi)	Art Education	0.25	0.25	0.25	0.25
vii)	D. R. U.	0.13	0.13	0.13	0.13
viii)	Computers	1.70	1.70	1.70	0.70
ix)	A. V. Aids	1.10	1.10	1.10	1.10
x)	Hostel oquipment	1.00	1,60	1.00	—
xi)	Furniture/Equipment for office/Classrooms and staff rooms.	1.20	1.20	1.20	1.20
xii)	Spl. Education (i.e.) Education for the Handicapped)	0.40	0.40	0.40	0.40
	TOTAL - EQUIPMENT	9,40	10.00	9.40	8.40
	TOTAL - NON-RECURRING	41.70	52.00	37.60	24.40

	Item	Project 5 Lalitpur	Project 6 Rampur	Project 7 Muzaffar Nagar	Project 8 Mirzapur
		(Rupees in Lakhs)			
1-	**Civil Works**				
i)	Basic Amenities (water, electricity, waste disposal etc.) on the institution campus	0.80	0.60	0.40	0.80
ii)	Special Repairs	2.20	2.50	1.50	2.00
iii)	New construction :				
	a- Institute building (academic & Adm. Wing)	13.00	10.00	13.50	7.00
	b- Hostel Building (No. of Seats)	22.00 (100)	22.00 (100)	22.00 (100)	22.00 (100)
	c- Staff Quarters	—	4.00	5,60	2,00
	d- Total - New constn. (a+b+c)	35.00	36.00	41.10	31.00
iv)	Total - Civil Works	38.00	39.10	43.00	33.80
2-	**Epuipment (Including Furniture)**				
i)	Library (books, furniture & Equipment)	—	2.00	2.00	2.00
ii)	Labs. for Science & Psychology	—	1.20	1.20	1.20
iii)	Social Studies & Languages	0.10	0.10	0.10	0.10
iv)	Work Experience	0.12	0.12	0.12	0.12
v)	Art Education	0.25	0.25	0.25	0.25
vi)	Physical Education	0.20	0.20	0.20	0.20
vii)	D. R. U.	0.13	0.13	0.13	0.13
viii)	Computers	1.70	1.70	1.70	1.70
ix)	A. V. Aids	1.10	1.10	1.10	1.10
x)	Hostel equipment	1.60	1,60	1.60	1.60
xi)	Furniture/Equipment for office/Classrooms and staff rooms.	1.20	1.20	1.20	1.20
xii)	Spl. Education (i.e.) Education for the Handicapped)	0.40	0.40	0.40	0.40
	TOTAL - EQUIPMENT	40,00	10.00	10.00	10.00
	TOTAL - NON-RECURRING	48.00	49.10	53.00	43.80

Item	Project 9 Aligarh	Project 10 Almora	Project 11 Hardoi	Project 12 Barabanki
	(Rupees in Lakhs)			
1- Civil Works				
Basic Amenities (water, electricity, waste disposal etc.) on the institution campus	0.90	0.50	1.00	1.00
Special Repairs	2.10	1.80	1.20	1.30
New construction :				
a- Institute building (academic & Adm. Wing)	13.50	13.00	18.00	18.00
b- Hostel Building (No. of Seats	26.50 (100)	25.00 (100)	26.50 (120)	13.20 (60)
c- Staff Quarters	7.00	7.70	4.30	4.50
d- Total - New constn. (a + b + c)	47.00	47.10	48.80	35.70
iv) Total - Civil Works	50.00	48.00	51.00	38.00
2- Epuipment (Including Furniture)				
i) Library (books, furniture & Equipment)	2.00	2.00	2.00	2.00
ii) Labs. for Science & Psychology	1.20	1.20	1.20	1.20
iii) Social Studies & Languages	0.10	0.10	0.10	0.10
iv) Work Experience	0.12	0.12	0.12	0.12
v) Art Education	0.25	0.25	0.25	0.25
vi) Physical Education	0.20	0.20	0.20	0.20
vii) D. R. U.	0.13	0.13	0.13	0.13
viii) Computers	1.70	1.70	1.70	1.70
ix) A. V. Aids	1.10	1.10	1.10	1.10
x) Hostel equipment	1.90	1.60	1.90	1.00
xi) Furniture/Equipment for office/Classrooms and staff rooms.	1.20	1.20	1.20	1.20
xii) Spl. Education (i.e.) Education for the Handicapped)	0.40	0.40	0.40	0.40
TOTAL - EQUIPMENT	10.30	10.00	10.30	9.40
TOTAL - NON-RECURRING	60.30	58.00	61.30	47.40

Item		Project 13 Jaunpur	Project 14 Ghaziabad	Project 15 Badaun	Project 16 Dehradun
		(Rupees in Lakhs)			
1- Civil Works					
i)	Basic Amenities (water, electricity, waste disposal etc.) on the institution campus	1.00	1.00	1.00	1.00
ii)	Special Repairs	1.10	1.00	1.00	1.00
iii)	New construction :				
	a- Institute building (academic & Adm. Wing)	10 00	10.20	13.50	13.50
	b- Hostel Building (No. of Seats)	26.50 (120)	22.00 (100)	26.50 (120)	22.30 (100)
	c- Staff Quarters	5.60	4.20	—	2,00
	d- Total - New constn.	42.10	36.40	40.00	37.80
iv)	Total - Civil Works	44.20	38.50	42.00	40.00
2- Equipment (Including Furniture)					
i)	Library (books, furniture & Equipment)	2.00	2.00	2.00	2.00
ii)	Labs. for Science & Psychology	1,20	1.20	1.20	1.20
iii)	Social Studies & Languages	0.10	0.10	0.10	0.10
iv)	Work Experience	0.12	0.12	0.12	0.12
v)	Art Education	0.25	0.25	0.25	0.25
vi)	Physical Education	0.20	0.20	0.20	0.20
vii)	D. R. U.	0.13	0.13	0.13	0.13
viii)	Computers	1.70	1.70	1.70	1.70
ix)	A. V. Aids	1.10	1.10	1.10	1.10
x)	Hostel equipment	1.90	1,60	1.90	1.60
xi)	Furniture/Equipment for office/Classrooms and staff rooms.	1.20	1.20	1.20	1.20
xii)	Spl. Education (i.o.) Education for the Handicapped)	0.40	0.40	0.40	0.40
	TOTAL - EQUIPMENT	10,30	10.00	10.30	10.00
	TOTAL - NON-RECURRING	54.50	48.00	53.30	50.00

Item	Project 17 Manipur	Project 18 Rae Bareli	Project 19 Banda	Project 20 Hardwar
		(Rupees in Lakhs)		
1- Civil Works				
i) Basic Amenities (water, electricity, waste disposal etc) on the institution campus	1.40	1.30	1.30	1.30
ii) Special Repairs	—	—	—	—
iii) New construction :				
a- Institute building (academic & Adm. Wing)	3.50	25.20	25.20	25.20
b- Hostel Building (No. of Seats)	26.50 (120)	26.50 (100)	26.50 (100)	26.50 (120)
c- Staff Quarters	5.60	7.00	7.00	7.00
d- Total - New constn.	35.60	58.70	58.70	58.70
iv) Total - Civil Works (a+b+c)	37.00	60.00	60.00	60.00
2- Equipment (Including Furniture)				
i) Library (books, furniture & Equipment)	2.00	2.00	2.00	2.00
ii) Labs. for Science & Psychology	1.20	1.20	1.20	1.20
iii) Social Studies & Languages	0.10	0.10	0.10	0.10
iv) Work Experience	0.12	0.12	0.12	0.12
v) Art Education	0.25	0.25	0.25	0.25
vi) Physical Education	0.20	0 20	0.20	0.20
vii) D. R. U.	0.13	0.13	0.13	0.13
viii) Computers	1.70	1.70	1.70	1.70
ix) A. V. Aids	1.10	1.10	1.10	1.10
x) Hostel equipment	1.90	1.90	1.90	1.90
xi) Furniture/Equipment for office/Classrooms and staff rooms.	1.20	1.20	1.20	1.20
xii) Spl. Education (i.e.) Education for the Handicapped)	0.40	0.40	0.40	0.40
TOTAL - EQUIPMENT	10.30	10.30	10.30	10.30
TOTAL - NON-RECURRING	47.30	70.30	70.30	70.30

Annex. II to Ministry of Human Resource Development Department of Education letter No. F. 2-20/87-TE-I dated 30-3-1989

Statement of posts approved for DIETs of Uttar Pradesh

	Branch	*Name of Post*	*No. of posts*
		Principal	1
1.	PSTE	1. Sr. Lect,	1
		2. Lects,	7
2.	ISPES	1. Sr. Lect.	1
		2. Lect.	1
		3. Clerk.	1
3.	DRU	1. Vice Principal	1
		2. Lect., AE	2
		3. Lect., NFE	2
		4. Clerk	2
4.	P & M	1. Sr. Lect.	1
		2. Lect.	1
		3. Statistician	1
5.	ET	1. Sr. Lect.	1
		2. Lect.	1
		3. Technician	1
6.	WE	1. Sr. Lect.	1
		2. Lect.	1
		3. WE Teacher	1
7.	C & E	1. Sr. Lect.	1
		2. Lect.	2
8.	Admn.	1. DS	1
		2. Librarian	1
		3. Accountant	1
		4. Steno	1
		5. Clerks	1
		6. Lab. Asstts.	6
		7. Class IV	2
			5 (+)
		TOTAL :	48

(+) Wherever the existing number of class IV posts in an ETEI being upgraded is more than five, they may be continued entirely at the State Government's cost, as at present

No. F. 2-20/87-TE-I
Government of India
Ministry of Human Resource Development
(Department of Education)

New Delhi, the 29th June, 1989

To,

The Principal Accounts Officer
Ministry of Human Resource Development,
Department of Education,
New Delhi

Subject : Centrally sponsored scheme of Teacher Education - Setting of DIETS Uttar Pradesh Release of balance amount due to the State Govt. towards central assistance for Civil Works for DIET projects sanction during 1988-89

Sir,

Vide this department's sanction letter of even number dated 30-3-1989, approval was accorded for 20 DIET projects of Uttar Pradesh. Project wise outlays approved for Civil Works were indicated in annex-I of that sanction letter and total amount of Rs. 169.87 lakhs was released as first instalment of central assistance towards Civil Works.

2. As per guidelines of DIET scheme, 50% of the outlays approved for Civil Works was to be released to the State Govt. as first instalment, but in fact a lesser amount could be released instead, vide the above mentioned letter.

3. In view of the above, I am now directed to convey the sanction of the President to the payment of the balance amount of first instalment of central assistance due to the Government of Uttar Pradesh for Civil Works in terms of the above Guidelines to the extent shown below :

	Projects :	Balance amount due towards Ist instalment of central assistance for Civil Work being hereby sanctioned for payment to the State Government. (Rs. in lakhs)
1.	Fatehpur	9.66
2.	Kanpur Nagar	12.6
3.	Farrukhabad	8.46
4.	Shahjehanpur	2.43
5.	Lalitpur	11.4
6.	Rampur	10.70
7.	Muzaffarnagar	12.9
8.	Mirzapur	10.14
9.	Aligarh	15.00
10.	Almora	14.4

11.	Hardoi	15.3
12.	Barabanki	11.4
13.	Jaunpur	13.26
14.	Ghaziabad	11.58
15.	Badaun	12.6
16.	Dehradun	12.0
17.	Ral Bareli	18.0
18.	Mainpuri	11.1
19.	Banda	18.35
20.	Hardwar	18.35
	Total	250.63

(Rupees two crores fifty lakhs and sixty three thousand only)

4. Grant of above central assistance is subject mutalis mutandis to the terms and conditions mentioned in the sanction letter dated 30-3-1989.

5. The expenditure of Rs. 250.63 lakhs will be debited to Demand No. 46-Department of Education - Major Head "3601" F. Grants in - aid to State Governments, F. 2 Grants for Central Plan Schemes, F. 2 (1) (1) - strengthening of Teacher Training Institutions (Plan) 1989-90

6. The pattern of grant / expenditure has been approved by the Ministry of Finance. This sanction is being issued in conformity with the rules and principles of the scheme as approved by the Ministry of Finance.

7. This issues with the concurrence of IF-I vide their Dy. No. 67/3-IF-I dated March, 1989.

Yours faitfully

(Miss L. Sailo)

Under Secretary to the Govt. of India

Copy forwarded for information and necessary action to :

1. Director of Audit, Central Revenues, (Spl. Cell.), New Delhi.
2. The Education Secretary, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
3. The Accountant General (Audit), Uttar Pradesh, Allahabad.
4. IFD/IF-Section/EC-Unit (Local), T.E. I /AE-I /AE-III
5. Director (Planning) (Local)
6. Adviser (Education), Planning Commission, New Delhi.

संख्या—110/15—(13)/90—1499(47)/90

प्रेषक,

श्री शरविन्दु
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवम्
प्रशिक्षण परिषद, उ0 प्र0,
लखनऊ

शिक्षा (13) अनुभाग लखनऊ दिनांक 12 मार्च, 1990

विषय—केन्द्र पुरोनिधानित जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना योजना के अन्तर्गत साज-सज्जा एवं उपकरणों के क्रय हेतु अनावर्तक व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अर्द्धशासकीय पत्र-संख्या रा0 शै0/डायट/23338/89-90, दिनांक 18-1-1990 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय केन्द्र पुरोनिधानित "जिला शिक्षण एवम् प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना" योजना के द्वितीय चरण में वर्ष 1989-90 में प्रदेश के फतेहपुर, कानपुर (नगर), फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, ललितपुर, रामपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, अलीगढ़, अल्मोड़ा, हरदोई, बाराबंकी, जौनपुर, गाजियाबाद, बदायूं, देहरादून, रायबरेली, मैनपुरी, बांदा तथा हरिद्वार जनपदों के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थाओं/राजकीय दीक्षा विद्यालयों में स्थापित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें दृश्य-श्रव्य उपकरण, लैबोरेटरी एवं वर्कशाप उपकरण, शारीरिक शिक्षा, खेल तथा संगीत शिक्षा के उपकरण, फर्नीचर एवं अन्य कार्यालयी व्यवस्था, फोटोकापियर, टाइपराइटर तथा डुप्लीकेटर आदि के क्रय के लिए रु0 1,34,00,000/-[रु0 एक करोड़ चौंतीस लाख मात्र] का अनावर्तक व्यय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-एफ-2-20/87-टी ई0-डेस्क दिनांक 23 मार्च, 1988 तथा समसंख्यक पत्र दिनांक 30 मार्च, 1989 में उल्लिखित निर्देशों तथा प्रदेश शासन के स्टोर्स पर्चेज नियमों के अनुसार किये जाने की स्वीकृत प्रदान कर दी।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्ष 1989-90 के आय-व्यक में अनुदान संख्या-68 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनागत-80-सामान्य-04-प्रशिक्षण-08-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना में-0804-जनपदीय प्रशिक्षण कार्यक्रम-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना-20-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र" के नामे डाला जायगा।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं जो उनकी 'अशासकीय संख्या-ई-11-471/दस/90, दिनांक 6 फरवरी, 1990 के द्वारा प्राप्त हुई है।

भवदीय

शरबिन्दु

संयुक्त सचिव

संख्या—110(1)/15-(13)/90-:499(47)/90, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1– संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या–एफ-2-20/87-टी0 ई0-1, दिनांक 30 मार्च, 1989 के सन्दर्भ में।

2– शिक्षा-निदेशक (बेसिक), उ0 प्र0, लखनऊ।

3– शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उ0 प्र0, शिविर कार्यालय, लखनऊ।

4– मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

5– नियोजन अनुभाग—4

6– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—11

7– वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग

8– वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग–2

आज्ञा से

शरविन्दु

संयुक्त सचिव

संख्या – 689/15—(13)/90—1499(45)/90

प्रेषक,

श्रीमती रीता सिन्हा
शिक्षा सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवम्
प्रशिक्षण परिषद, उ0 प्र0,
लखनऊ

शिक्षा (13) अनुभाग **लखनऊ दिनांक** 18 **मई** 1990

विषय—जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मेन्टर्स' का नामित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या–रा0 शै0/471/90-91, दिनांक 20 अप्रैल, 1990 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा प्रदेश के निम्नलिखित जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थानों के लिये उनमें से प्रत्येक के समक्ष उल्लिखित अधिकारी को उक्त संस्था के 'मेन्टर' के रूप में नामित किया गया है:—

क्र0 सं0	जनपद जहाँ संस्थान स्थापित है	'मेन्टर का नाम
1	2	3
1-	लखनऊ	श्रीमती रीता सिन्हा शिक्षा सचिव, उत्तर प्रदेश।
2-	बलिया	डा0 लक्ष्मी प्रसाद पाण्डेय, शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0 प्र0।
3-	आगरा	डा0 कृष्णावतार पाण्डेय निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा, उ0 प्र0।
4-	बरेली	श्री बद्री प्रसाद खण्डेलवाल शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उ0 प्र0।
5-	वाराणसी	श्री हरि प्रसाद पाण्डेय निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवम् प्रशिक्षण परिषद।
6-	उन्नाव	श्री ए0 के0 श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
7-	मथुरा	श्री शरदिन्दु, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

1	2	3
8—	हमीरपुर	श्री वेदपति मिश्र, संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ. प्र., इलाहाबाद ।
9—	पीलीभीत	श्री महानन्द मिश्र, निदेशक, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान, निशातगंज, लखनऊ ।
10—	बहराइच	श्री पी0 सी0 श्रीवास्तव, उप निदेशक [शिविर] शिविर कार्यालय शिक्षा निदेशक [माध्यमिक], उ. प्र., लखनऊ ।
11—	झाँसी	श्री जयराम वर्मा, मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक [बेसिक], लखनऊ ।

2— इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा "मेन्टर" के रूप में उनके नाम के समक्ष उल्लिखित उपर्युक्त जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान को "एडाप्ट" करते हुए न्यूनतम् निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है :—

[1] "मेन्टर" से नियमित रूप से कुछ समय सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की प्रगति तथा गतिविधियों के आकलन, उसकी समस्याओं के समाधान विभिन्न विभागों/संस्थाओं से संस्थान के लिए आवश्यकतानुसार सम्पर्क स्थापित करके आपेक्षित सहयोग प्राप्त कराने आदि कार्यों की अपेक्षा की जाती है।

[2] "मेन्टर" द्वारा सम्बन्धित संस्थान के विकास के लिए आवश्यकतानुसार प्रयास किया जाता है।

3— इस सन्दर्भ में मुझे यह भी स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि "मेन्टर्स" उन्हें प्रविष्ट जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थानों को अपनी सेवाएँ एवं सुझावकेवल सहयोग की भावना से उपलब्ध करायेगें उनके द्वारा इस सम्बन्ध में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को दिया जाने वाला सहयोग एवं दिशा निदेश अधिकारात्मक न होकर सुझावात्मक रहेगा जिससे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता यथावत बनी रहे।

भवदीय
[रीता सिन्हा]
सचिव

संख्या—689[1]/15-[13]/90-1499 [45]/90

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1- सचिव भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
2- शिक्षा निदेशक, बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा/उर्दू, उ. प्र, लखनऊ/इलाहाबाद ।
3- सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी ।
4- सम्बन्धित जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षक ।
5- सम्बन्धित जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ।
6- "मेन्टर्स" के रूप में नामित समस्त अधिकारी गण ।

आज्ञा से
ए0 के0 श्रीवास्तवा
सयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार

शिक्षा [13] अनुभाग

संख्या-779/15-[13]/90-1499 [46]/87 टी0 सी0

लखनऊ, दिनांक 16 **जून** 1990

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की नियमावली 1990 में प्राविधानित प्रधानाचार्य उपप्रधानाचार्य तथा वरिष्ठ लेक्चरर के पदों पर निर्धारित शर्तों के अधीन आने वाले अभ्यर्थियों का चयन करने के निमित्त एक चयन समिति का गठन किया जाता है जिसके अध्यक्ष एवं सदस्य निम्न प्रकार होंगे;—

1-	सचिव, शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यक्ष
2-	सचिव, कार्मिक विभाग या उनके संयुक्त सचिव स्तर का प्रतिविधि	सदस्य
3-	शिक्षा निदेशक (बेसिक) और शिक्षा निदेशक, अनौपचारिक शिक्षा, उ0 प्र0	सदस्य
4-	निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा, उ0 प्र0	सदस्य
5-	फील्ड एडवाइजर, एन0 सी0 ई0 आर0 टी0, इलाहाबाद।	सदस्य
6-	अध्यक्ष शिक्षा विभाग, एन0 सी0 ई0 आर0 टी0, नई दिल्ली का प्रतिनिधि	सदस्य
7-	शिक्षा सचिव द्वारा नामित एक अधिकारी, जो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का होगा।	सदस्य
8-	निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवम् प्रशिक्षण परिषद, उ0 प्र0, लखनऊ।	सदस्त-सचिव

रीता सिन्हा
सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार
शिक्षा (13) अनुभाग
संख्या—780/15-(13)/90-1499(46)/87टी0 सी0
लखनऊ, दिनांक 16 जून, 1990

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की नियमावली 1990 में प्राविधानित लेक्चरर के पदों पर निर्धारित शर्तों के अधीन आने वाले अभ्यर्थियों के चयन करने के निमित्त एक चयन समिति का गठन किया जाता है जिसके अध्यक्ष एवं सदस्य निम्न प्रकार होंगे :—

1—	निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसधान एवम् परिषद उ0 प्र0, लखनऊ	अध्यक्ष
2—	कार्मिक विभाग का एक प्रतिनिधि जो उपसचिव के स्तर से कम का न हो	सदस्य
3—	अतिरिक्त निदेशक बेसिक शिक्षा	सदस्य—सचिव
4—	अतिरिक्त निदेशक, अनौपचारिक शिक्षा	सदस्य
4—	'डायट' के एक प्रधानाचार्य जो निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा नामित किये जायेंगे	सदस्य
6—	शिक्षा विभाग द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति का एक अधिकारी	सदस्य
		सदस्य
7—	प्रौढ़ शिक्षा का एक प्रतिनिधि जो उप निदेशक के पद से नीचे के स्तर का न हो	सदस्य

रीता सिन्हा
सचिव

संख्या—780[1]/15—13/90—1499]46]/87 टी0सी0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— शिक्षा निदेशक [बेसिक], उ0 प्र0, लखनऊ
2— शिक्षा निदेशक [माध्यमिक] उ0प्र0, लखनऊ
3— निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0 प्र0, लखनऊ
4— सचिव कार्मिक, उत्तर प्रदेश शासन
5— अतिरिक्त निदेशक, अनौपचारिक शिक्षा
6— निदेशक प्रौढ़ शिक्षा, उ0 प्र0 लखनऊ
7— सचिव, शिक्षा के निजी सचिव

आज्ञा से
(अविनाश कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव

संख्या—779(1)/15(13)/90-1499(49)/87 टी० सी०

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1- शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0 प्र0, लखनऊ।

2- शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उ0 प्र0 लखनऊ।

3- निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवम् प्रशिक्षण परिषद, उ0 प्र0, लखनऊ।

4- सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

5- निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा, उ0 प्र0 लखनऊ।

6- फील्ड एडवाइजर, एन0 सी0 ई0 आर0 टी0, इलाहाबाद।

7- अध्यक्ष अध्यापक शिक्षा विभाग, एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 नई दिल्ली।

8- सचिव शिक्षा के निजी सचिव।

आज्ञा से
(अविनाश कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार

शिक्षा [13] अनुभाग

संख्या—759/15[13]

लखनऊ, दिनांक 28 जून, 1990

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल महोदय प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, झांसी, बलिया, उन्नाव, हमीरपुर, बहराईच, पीलीभीत, वाराणसी, लखनऊ, बरेली तथा आगरा को वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-2[भाग 2 से 4] खण्ड-3 एवं खण्ड-5 [भाग—1] तथा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल में उल्लिखित नियमों के लिये 'कार्यालयाध्यक्ष' घोषित करते हैं।

2. यह आदेश वित्त [लेखा] अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या—1637/10—14[1]/75 दिनांक 26 जून, 1975 में प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन कार्मिक विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

ह0/-

[ए0 के0 श्रीवास्तव]

संयुक्त सचिव

संख्या—759 [1]/15—[13]/90 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ0 प्र0 लखनऊ

2— शिक्षा निदेशक [उच्च शिक्षा] उ0 प्र0 इलाहाबाद

3— शिक्षा निदेशक [माध्यमिक शिक्षा] उ0प्र0 लखनऊ

4— शिक्षा निदेशक [बेसिक] उ0 प्र0 लखनऊ

5— प्रौढ़ शिक्षा निदेशक, उ0 प्र0 लखनऊ

6— महालेखाकार उ0 प्र0, इलाहाबाद

7— प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान झाँसी, बलिया, उन्नाव, हमीरपुर, उन्नाव, हमीरपुर, बहराइच, पीलीभीत, वाराणसी, लखनऊ, बरेली तथा आगरा

8— कोषाधिकारी, झांसी, बलिया, उन्नाव, हमीरपुर, बहराइच, पीलीभीत, वाराणसी, लखनऊ, बरेली तथा आगरा।

9— वित्त [लेखा] अनुभाग-1 तथा 2

10— वित्त [आय-व्ययक] अनुभाग-4

11— वित्त [सामान्य] अनुभाग—4

12— वित्त [व्यय नियंत्रण] अनुभाग—11

13— सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

14— समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश

आज्ञा से

ह0/—

[ए0 के0 श्रीवास्तव]

उत्तर प्रदेश सरकार
शिक्षा [13] अनुभाग
संख्या 1242/15[13]/90
लखनऊ दिनांक 6 अगस्त 1990

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि डायट के क्रियान्वयन तथा क्षेत्रीय समस्याओं के निरस्तकरण हेतु प्रत्येक स्वीकृत डायट के लिये राज्यपाल महोदय द्वारा एक समिति का गठन किये जाने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस समिति के सदस्य निम्न प्रकार होंगे :—

1— प्राचार्य तथा उप प्राचार्य डायट्स —संयोजक
2— जिला विद्यालय निरीक्षक तथा
बेसिक शिक्षा अधिकारी
3— जिला स्तरीय अधिकारी — प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा
4— निर्माण एजेंन्सी के अधिशासी अभियन्ता

उपरोक्त समिति प्रत्येक त्रैमास में एक बार अवश्य बैठेगी।

रीता सिन्हा
सचिव

पत्र संख्या — 1242 [1]/15[13]/90 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— निदेशक, माध्यमिक उ.प्र. लखनऊ, लखनऊ
2— निदेशक, बेसिक, उ0 प्र0 लखनऊ।
3— निदेशक, उ0 प्र0 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ।
4— निदेशक, राज्य संदर्भ केन्द्र, लखनऊ।
5— निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा उ. प्र, लखनऊ।
6— सभी प्राचार्य / उप प्राचार्य डायट्स
7— समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ. प्र.
8— समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ प्र.
9— समस्त जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, उ. प्र.
10— समस्त जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी, उ प्र.
11— समस्त संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग
12— सचिव, उ. प्र. शासन, सार्वजनिक निर्माण विभाग

आज्ञा से
(अविनाश कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव, शिक्षा।

प्रेषक,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद, उ0 प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
1. लखनऊ, 2. फरीदपुर (बरेली), 3. उन्नाव, 4. पकवाइनार (बलिया),
5. बरूआसागर (झांसी), 6. चरखारी (हमीरपुर), 7. पयागपुर (बहराइच),
8. सारनाथ (वाराणसी), 9. आगरा, 10. बीसलपुर (पीलीभीत)।

पत्रांक/रा. शै./ 5979—119/90—91 दिनांक : अगस्त 22, 1990

विषय : जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अधीन राजकीय दीक्षा विद्यालय के स्टाफ को रखने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त जनपदों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्राचार्य की तैनाती की जा चुकी है और प्राचार्यों को शासन के ज्ञाप संख्या–759/15–13/90–1499(46)/90, दिनांक 28 जून, 1990 द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी तथा कार्यालय अध्यक्ष घोषित किया जा चुका है। यह संस्थान राजकीय दीक्षा विद्यालय का स्थान लेगे।

शासन ने अपने अ० शा० पत्रांक 1243/15—13/90, दिनांक 18 अगस्त, 1990 के द्वारा यह आदेश दिया है कि उपुर्यक्त जनपदों में पूर्व स्थापित राजकीय दीक्षा विद्यालय का वर्तमान स्टाप (प्राचार्य, दीक्षा विद्यालय को सम्मिलित करते हुए प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अधीन रखे जाते हैं।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाय और अनुपालन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय।

भवदीय

(हरि प्रसाद पाण्डेय)

निदेशक

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद, उ० प्र०,
लखनऊ।

क्र0 स0 रा शै/5979–119/90-91 तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:—

1– निदेशक उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

2– शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0 प्र0, लखनऊ ।

3– शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उ0 प्र0 लखनऊ ।

4– निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा, उ0 प्र0, लखनऊ ।

5– अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0 प्र0 इलाहाबाद ।

6– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, लखनऊ, बरेली, वाराणसी, झांसी, फैजाबाद, तथा आगरा ।

7– जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ, बरेली, उन्नाव, बलिया, झांसी, हमीरपुर, बहराइच, वाराणसी, आगरा तथा पीलीभीत ।

8– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ, बरेली, उन्नाव, बलिया, झांसी हमीरपुर, बहराइच, वाराणसी आगरा तथा पीलीभीत ।

(हरि प्रसाद पाण्डेय)
निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०,
लखनऊ ।

संख्या—1736/15—(13)/90—1499(55)/99

प्रेषक,

श्री ए. के श्रीवास्तव

संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और

प्रशिक्षण परिषद उ. प्र. लखनऊ

शिक्षा [13] अनुभाग

लखनऊ, दिनांक 18 सितम्बर, 1990

विषय :—केन्द्र पुरोनिधानित शिक्षण प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले द्वितीय चरण में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए कर्मचारी वर्ग की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य पाल महोदय ने केन्द्र पुरोनिधानित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान [डिस्ट्रिक्ट इन्स्टीट्यूट आफ एजूकेशन एड ट्रेनिग] की स्थापना योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 20 जिलों फतेहपुर कानपुर [नगर] फर्रुखाबाद शाह-जहांपुर ललितपुर रामपुर मुजफ्फरनगर मिर्जापुर अलीगढ़ अल्मोड़ा हरदोई बाराबंकी जौनपुर गाजियाद बदायूं देहरादून रायबरेली मैनपुरी बांदा हरिद्वार में संचालित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान/राजकीय दीक्षा विद्यालय के प्रांगण में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त संस्थानों में नियुक्ति की तिथि से दिनांक 28 फरवरी 1991 तक के लिये निम्नलिखित पदों की सृजन की स्वीकृति प्रदान कर दी है यदि ये पद इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त नहीं कर दिये जाते :—

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	उपर्युक्त में से प्रत्येक जनपद के लिए स्वीकृत पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1	प्राचार्य	रु० 3000-100-3500-125-4750.	20	1
2	उप प्राचार्य	रु० 3000-100-3500-125-4500.	20	1
3	वरिष्ठ प्रवक्ता	रु0 2200-75-2800 द0 रो0-100-4000.	120	6

1	2	3	4	5
4.	प्रवक्ता	रु0 1600-50-2300 द0 रो0-60-2660	3400	17
5.	सांख्यिकीकार	रु0 1400-40-1800-द0 रो0-50-2300	20	1
6.	कार्यानुभव शिक्षक	———तदैव———	20	1
7.	तकनीकी सहायक	रु0 1400-40-1800-	20	1
		द0 रो0-50-2300.	20	1
8.	कार्यालय अधीक्षक	रू० 1400-40-1600-50-, 2300-द0 रो0-2600.	20	1
9.	पुस्तकालयाध्यक्ष	———तदैव———	20	1
10.	लेखाकार	रू0 1400-40-1800-	20	1
		द0 रो0-50-2300.	20	1
11.	आशुलिपिक	रू0 1200-30-1560-द0 रो0-40-2040.	20	1
12.	लिपिक	रू0 950-20-1150-द0 रो0-25-1500.	180	9
13.	प्रयोगशाला सहायक	———तदैव———	40	2
14.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी,	रू० 750-12-870-द० रो०-14-940.	100	5

2. उक्त सभी पद निःसंवर्गीय होगे और उन पर नियुक्तियाँ शासन के शिक्षा विभाग तथा अन्य शासकीय विभागो के उपर्युक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्त द्वारा अथवा बाहर से "कान्ट्रेक्ट" पर भी की जा सकेगी। इन पदों पर नियुक्तियाँ एवं चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित निर्देश शासन द्वारा अलग से निर्गत किये जायेगें।

3. उपर्युक्त पैरा—1 में उल्लिखित पदों के पदधारकों को इनमें से प्रत्येक के समक्ष उल्लिखित वेतनमानों में उनके वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अन्तर्गत देय मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी अनुमन्य होगें।

4. उक्त नव सृजित पदों पर होने वाले व्यय के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय—व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं है और पदों का सृजन तथा उन्हें चलाए रखना अत्यन्त आवश्यक एवं अपरिहार्य है, अतएव राज्यपाल महोदय ने इन पदों पर वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाले व्यय हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से रु०2,00,26 000/—[रू0 दो करोड़ छब्बीस हजार मात्र] का आग्रिम लिए जाने की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है।

5. उपर्युक्त व्यय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में प्रथमतः 8000 राज्य आकस्मिकता निधि राज्य आकस्मिकता निधि का लेखा ओर अन्ततः अनुदान संख्या 69 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2202—सामान्य शिक्षा आयोजनागत80सामान्य-003-प्रशिक्षण-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें0104-जनपदीय प्रशिक्षण कार्यक्रम—जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना [शत प्रतिशत] के नामें डाला जायेगा।

भवदीय
ह0/—
[ए. के. श्रीवास्तव]
संयुक्त सचिव।

संख्या—ई—11/सी0 एफ0/127/90

प्रतिलिपि महालेखाकार, उ0 प्र0, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

आज्ञा से
ह0/—
[प्रेम प्रकाश बैरिया [
संयुक्त सचिव, वित्त

संख्या—1736 [1]/15—[13]/90—1499 55]/90 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. शिक्षा निदेशक [माध्यमिक/बेसिक], उ0 प्र0, लखनऊ/इलाहाबाद।
2. निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा, उ0 प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक।
4. सम्बन्धित मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक।
5. सम्बन्धित जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित जिलों के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान/राजकीय दीक्षा विद्यालय।
7. वित्त [व्यय नियन्त्रण] अनुभाग—11/वित्त [आय-व्ययक] अनुभाग—2.
8. नियोजन अनुभाग—4/शिक्षा [3] अनुभाग।
9. श्री के0 एम0 आचार्य, उप सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग शास्त्री भवन नई दिल्ली।

आज्ञा से
ह0/—
[ए. के. श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव

संख्या– 1813/15(13)/90-1499(46)/87 टी, सी,

प्रेषक,

अविनाश कुमार श्रीवास्तव,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण संस्थान, उ0 प्र0,
लखनऊ।

शिक्षा (13) अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 17 नवम्बर, 1990.

विषय :— केन्द्र पुरोनिधानित शिक्षक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत स्थापित प्रथम चरण में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए सृजित आस्थायी पदों वर्ष 1990-91 में सततीकरण एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या– रा0श0/8457, पाँच (13) 90-91 दिनांक 24-9-90 तथा शासनादेश संख्या-255/15(13)/89-1499 (46)/87 टी. सी दिनांक 16-3-1989 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने संलग्न तालिका में उल्लिखित अस्थायी पदों के उनके समक्ष अंकित वेतनमानों में 1 मार्च 1990 से 28 फरवरी, 1991 तक चलते रहने की स्वीकृति प्रदान कर दी है, यदि वे इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जायें।

2– उपर्युक्त पदों के पद धारकों को शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी अनुमन्य होंगे।

3– संलग्न तालिका में इंगित पदों पर होने वाले व्यय के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्यय में कोई व्यवस्था नहीं है और पदों को स्थाई रखना अत्यन्त आवश्यक एवम् अपरिहार्य है, अतएव राज्यपाल महोदय ने इन पदों पर वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाले व्यय हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से रु0 1,57,84,000/— रुपये एक करोड़ सत्तावन लाख चौरासी हजार मात्र अग्रिम लिये जाने की भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

4– उपर्युक्त व्यय प्रथमता वर्ष 1990–91 के आय-व्यय में लेखाशीर्षक 8000 राज्य आकस्मिकता निधि और

अन्ततः संलग्न संख्या—82 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा—आयोजनान्तर्गत-80—सामान्य 003 प्रशिक्षण 01—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं — 0104 — जनपदीय प्रशिक्षण कार्यक्रम—जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (शत प्रतिशत) के नामे डाला जायेगा।

भवदीय
ए0 के0 श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव

वित्त विभाग

संख्या ई—11/सी.एफ./182/दस—90—तद्दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार, उ. प्र., इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से
(कैलाश नाथ सक्सेना)
(अनुसचिव (वित्त)

संख्या—1813 (1)/15 (13)/90 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— शिक्षा निदेशक (मध्यमिक/बेसिक), उ0 प्र0, लखनऊ-इलाहाबाद।

2—निदेशक—प्रौढ़ शिक्षा, उ. प्र., लखनऊ

3— जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ, उन्नाव, इलाहाबाद, इटावा, पीलीभीत, झांसी, गोरखपुर, फर्रुखाबाद मुरादाबाद, मेरठ, वाराणसी, बलिया, आगरा, मथुरा, नैनीताल तथा पिथौरागढ़।

4— उक्त जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।

5— संबंधित मंडलीय उप शिक्षा निदेशक।

6— संबंधित जिलों के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान/राजकीय दीक्षा विद्यालय।

7— वित्त [व्यय नियंत्रण] अनुभाग-1

8— नियोजन अनुभाग—4

9— शिक्षा (3) अनुभाग।

10— श्री के0 एम0 आचार्य, संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) शास्त्री भवन नई दिल्ली।

11— वित्त (आय व्ययक) अनुभाग—2

आज्ञा से,
ए0 के0 श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव

शासनादेश संख्या—1817/15—[13]/90-1499[46]/87 टी. सी., दिनांक 17 नवम्बर 1990—91 विवरणा [3] संलग्न तालिका।

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	प्रत्येक जनपद के लिए स्वीकृत पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1—	प्राचार्य	रु 3000—100—3500—125—4750	20	1
2—	उपप्राचार्य	रु. 3000—100—3500—125—4500	20	1
3—	वरिष्ठ प्रवक्ता	रु. 2200—75—2600—द रो.—100—4000	120	6
4—	प्रवक्ता	रु. 1600—50—2300—द. रो.—60—2660	340	17
5—	सांख्यकीकार	रु. 1400-40-1800-द.रो,-50-2300	20	1
6—	कार्यानुभव शिक्षक	— तदैव—	20	1
7—	तकनीकी सहायक	—तदैव—	20	1
8—	कार्यालय अधीक्षक	रु. 1400—40-1600—50—2300—द. रो.—60—2600	20	1
9—	पुस्तकालयाध्यक्ष	—तदैव—	20	1
10—	लेखाकार	रु. 14 0—40—1800—द. रो—50 2300	20	1
			20	1
11—	आशुलिपिक	रु. 1200—30—1560—द.रो.—40 2040	20	1
12—	लिपिक	रु. 950—20—1150—द.रो.—25—1500	180	9
13—	प्रयोगशाला सहायक	—तदैव—	40	9
14—	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	रु. 750—12—870—द. रो.—14—940	180	5

(अविनाश कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव

No. F, 2-20/87-TE-I
Government of India
Ministry of Human Resource Development
(Department of Education)

New Delhi, dated the 20th November, 1990

To,

The Principal Accounts Officer
Pay & Accounts Office
Ministry of Human Resource Development,
(Department of Education)
New Delhi-110 001.

Subject—Centrally Sponsored Scheme of Teacher Education-setting up of District Institutes of Education & Training, Uttar Pradesh - Release of 2nd instalment of Central assistance for Civil Works for Project sanctioned in 1987-88.

Sir,

Vide sanction letter of even number dated 23-3-1988 of this Department, first Instalment of Central assistance amounting to Rs. 536.46 lakhs was released to the Government of Uttar Pradesh for DIET projects of that state. The State Government have, vide their letter No, 1990/15(13)/90 dated 23-10.1990 informed that more than 85% of the Civil Works component of the above first instalment has been utilised.

2. I am accordingly directed to convey the sanction of the President for Rs. 3,63,59,000 (three crores sixty three lakhs and fiftynine thousand only) to the payment of the 2nd and final instalment of Central assistance to the Government of Uttar Pradesh for Civil Works in connection with the following 20 DIET projects to the extent show against each :—

	Project	Amount of Central assistance for Civil Works sanctioned for payment to the State Government. (Rs, in Lakhs.)
1-	Lucknow	23.69
2-	Unnao	18 67
3-	Allahabad	16.97
4-	Etawah	10.83
5-	Bareilly	20.44
6-	Pilibhit	16.14
7-	Jhansi	19.53
8-	Hamirpur	24.83
9-	Faizabad	19.41
10-	Baharaich	21.19
11-	Moradabad	13.02
12-	Meerut	12.84
13-	Bulandshahar	23.80
14-	Varanasi	18.06
15-	Balia	14.18
16-	Gorakhpur	10.86
17-	Agra	20.55

18-	Mathura	21.52
19-	Nainital	17.35
20-	Pithoragarh	19.81
	Total	363.59

(Rupees three crores sixtythree lakhs and fiftynine thousand only)

3- Utilisation of the above grant will continue to be governed by the terms and conditions specified in the first sanction letter dated 23-3-1988 cited above, by the guide. lines conveyed vide D. O. letter No. F.2-38/87-TE-I, dated 28-11-1989 of this Department and other guidelines issued or that may be issed regarding DIET projects by this Department from time to time.

4- The expenditure of Rs. 363.59 lakhs will be debited to Demand No. 47 - Department of Education - Major Head "3601" F, Grants-in-aid to the State Governments, F. 3-Grants for Central Plan Scheme, F. 3(3)-Elementary Education & Teacher Education F. 3(3)(1)-Strengthening of Teacher Training Institution, (Plan) - 1990-91.

5- The pattern of grant/expenditure has been approved by the Ministry of Finance. This sanction is being issued in conformity with the rules and principles of the scheme as approved by the Ministry of Finance.

6- This issue with the concurrence of Internal Finance Branch Vide their Dy. No. 96928/ 90-IF.I dated 19-11-1990

7- The guarantee is situated in the Uttar Pradesh circle of account

Yours faithfully
S. K. Grover
Assistant Educational Adviser

Copy forwarded for information and necessary action to :

1 Director of Audit, Central Revenues, (Special Cell), New Delhi
2 The Education Secretary, Government of Uttar Pradesh, Lucknow
3. The Accountant General (Audit), Uttar Pradesh, Allahabad
4. IFD/IF-I Section/EC Unit (Local),
5. Director (Planning) (Local)
6. Adviser (Education), Planning Commission, New Delhi,
7. Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Finance Department, Lucknow
8. The Director of school Education, Lucknow.
9. Director, NCERT/NIEPA/Adult Education, New Delhi
0. Head, Department of Teacher Education, Special Education and Extension Services NCERT, New Delhi
1. Field Adviser, NCERT, Uttar Pradesh, Allahabad
2- Principal, District Institute of Education and Training, Lucknow/Unnao/Allahabad Etawah / Bareily/ Pilibhit/Jhansi/Hamirpur /Faizabad/Baharaich/Moradabad / Meerut Bulandshahar/Varanasi/Balia/Gorakhpur/Agra/Mathura/Nainital and Pithoragarh, U.P,
3. Guard File.

S. K. Grover)
Assistant Educational Adviser

कार्यालय, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ० प्र०, लखनऊ।

आदेश सं0 रा0 शै0/10221-391/90-91 दिनांक 29-11-90

कार्यालय आदेश/समिति का गठन

राजाज्ञा संख्या 741/(1)/15(13)/90-1499(46)/87 टी. सी. दिनांक नवम्बर 6, 1990 में निहित निर्देशानुसार नवस्थापित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में साज-सज्जा एवं उपकरणों के क्रय हेतु प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए निम्नांकित क्रय समिति गठित की जाती है:—

प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान—	अध्यक्ष
जिला विद्यालय निरीक्षक—	सदस्य
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी—	सदस्य

2- जिन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में वेतनक्रम 3000-4750 में प्राचार्य की नियमित नियुक्ति नही हो सकी है, वहां वर्तमान में राजकीय दीक्षा विद्यालय के कार्यरत प्रधानाचार्य क्रय समिति के सदस्य होंगे। ऐसी स्थिति में जिला विद्यालय निरीक्षक क्रय समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगें।

3- गठित क्रय समिति संबंधित जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के लिए साज-सज्जा उपकरणों के क्रय की कार्यवाही स्टोर परचेज नियमों के अनुसार संपन्न करेगी। कम्प्यूटर का क्रय संबंधित संस्थान में धूल रहित कक्ष के निर्माण के उपरान्त ही किया जायेगा।

हरि प्रसाद पाण्डेय
निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद, उ० प्र०,
लखनऊ

पृ० सं० रा० शै०/10221—391/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1- प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान/प्राचार्य, राजकीय दीक्षा विद्यालय (प्रथम चरण के संबंधित 20 जनपद)
2- प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान(संबंधित द्वितीय चरण 20 जनपद)
3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, सम्बन्धित (40 जनपद)
4- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित (40 जनपद)

5— मंडलीय उपशिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

6— मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश।

7— प्राचार्य, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग–राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद।

8— निदेशक, विज्ञान और गणित विभाग–राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद।

9— निदेशक, शैक्षिक तकनीकी विभाग–राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान, लखनऊ।

10— निदेशक, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग–मनोविज्ञानशाला, इलाहाबाद/पाठ्य पुस्तक अधिकारी, लखनऊ

11— अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) इलाहाबाद।

12— अपर शिक्षा निदेशक (पर्वतीय) लखनऊ।

13— प्रभारी परिषद।

14— लेखाधिकारी, परिषद।

15— प्रशासनिक अधिकारी, परिषद।

16— शिक्षा/निदेशक, (माध्यमिक/बेसिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

17— गार्ड फाइल।

निदेशक

(हरि प्रसाद पाण्डेय)
राज्य शैक्षिक अनुसन्धान और
प्रशिक्षण परिषद, उ० प्र०
लखनऊ

संख्या-2170/15-(13)/90-1499-(82)/90

प्रेषक,

श्री वी० वेंकटाचलम्,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवम्
प्रशिक्षण परिषद, उ० प्र०,
लखनऊ

शिक्षा (13) अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 3 दिसम्बर,** 1990

विषय:— प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को नियुक्त प्राधिकारी घोषित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या रा० शै /6389-90/90-91,— दिनांक 1-9-1990 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों को शासनादेश संख्या-255/15-(13)/88 1499(46) 87 टी० सी० दिनांक 16-3-1989 तथा संख्या- 1736/15-(13)/90-1499-(55)/90, दिनांक 18-9-1990 में सृजित तृतीय श्रेणी (लिपिक तथा प्रयोगशाला सहायक तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती किये जाने हेतु नियुक्त प्राधिकारी घोषित करते है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों मे सृजित लिपिकों तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए राजकीय दीक्षा विद्यालय में उपलब्ध स्टाफ को समायोजित कर लिया जाय। इन पदों पर समायोजित कर्मचारियों के वेतनादि संस्थान के अधिष्ठान से आहारित किया जायेगा। अवशेष पदों के समायोजन के लिए सम्बन्धित मण्डलीय अधिकारियों से अनुरोध करें कि वे उन्हें विभाग के अन्य कार्यालयों में स्थानान्तरित करें परन्तु जब तक उनका स्थानान्तरण नहीं होता है, वे संस्थान मे ही कार्यरत रहेंगे तथा उनका वेतन प्राचार्य डायट राजकीय दीक्षा विद्यालय के अधिष्ठन से सम्बन्धित शीर्षक से आहरित करेंगे।

3- आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार अपने स्तर से भी आदेश जारी करने का कष्ट करे तथा उसकी प्रति शासन को भी उपलब्ध करायें।

भवदीय,
(वी० वेंकटाचलम्)
विशेष सचिव

संख्या— 2170(1)/15-(13)/90, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त प्राचार्य डायटस।

2- शिक्षा निदेशक (उच्च, माध्यमिक, बेसिक, प्रौढ़), उ० प्र०, लखनऊ।

3- महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद।

4- समस्त विभागाध्यक्ष, उ० प्र०,

5- सचिव, अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड, लखनऊ।

आज्ञा से,

(वी० वेंकटाचलम्)
विशेष सचिव

संख्या— 2214/15-(13)/90-1499(82)/90

प्रेषक,

श्री वी० वेंकटाचलम्
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसन्धान और
प्रशिक्षण परिषद, उ0 प्र0,
लखनऊ।

शिक्षा [13] अनुभाग लखनऊ, **दिनांक 3 दिसम्बर,** 1990

विषयः— नियुक्त प्राधिकारी घोषित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या– रा0 शै– 9991/97-90-91, दिनांक 17-11-90 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या– 255/15-(13)/89-1499(46)/87 टी0 सी0, दिनांक 16-3-1989 तथा शासनादेश संख्या–1736/15-(13)/90-1499 (55)/90, दिनांक 18-9-90, द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में सृजित **प्रवक्ता, सांख्यकीकार कार्यानुभव शिक्षक, तकनीकी सहायक, कार्यालय, अधीक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, लेखाकार** तथा **आशुलिपिक** के पदों पर भर्ती करने हेतु राज्यपाल महोदय निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद, उ0 प्र0 की नियुक्त प्राधिकारी घोषित करते हैं।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहना है कि **प्रवक्ता के पदों पर नियुक्ति तब तक न की जाय जब तक कि उनकी सेवा नियमावली प्रख्यापित न हो जाय।**

भवदीय,
(वी० वेंकटाचलम्)
विशेष सचिव

संख्या— 2214(1)/15-(13)/90, **तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त विभागाध्यक्ष, उ० प्र०,
2– सचिव लोक सेवा आयोग उ0 प्र0, इलाहाबाद।
3– सचिव, अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग, उ0 प्र0, लखनऊ।
4– महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद।
5– समस्त प्राचार्य डायटस।

आज्ञा से,
(वी० वेंकटाचलम्)
विशेष सचिव

संख्या-429/15 [13]/91-1499 [46]/87 टी0 सी0

प्रेषक,

श्री शरदिन्दु,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद, उ0 प्र0
लखनऊ

शिक्षा [13] अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 20 अप्रैल 1991.

विषय :—केन्द्र पुरोनिधानित शिक्षक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में स्थापित जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए सृजित अस्थायी **पदों का** वर्ष 1991-92 में प्रततीकरण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक रा0 शै0/14943-47/पाँच [63]/90-91 दिनांक 16-3-91 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या-255/15 [13]/89-1499 [46]/87 टी. सी. दिनाँक 16-3-89 एवं 1813/15 [13]/90-1499 [46]/87 टी. सी. दिनाँक 17-11-1990 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश शुआ है कि राज्यपाल महोदय ने संलग्न तालिका में उल्लिखित अस्थायी पदों को उनके समक्ष अंकित वेतनमानों में । मार्च, 1991 से 29 फरवरी, 1992 तक चलते रहने की स्वीकृति प्रदान कर दी हैं यदि वे इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जायें ।

2- उपर्युक्त पदों के पद धारक शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी अनुमन्य होगें ।

3- उक्त पदों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 1991-92 के आय-व्यय अनुदान संख्या-69 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा आयोजनागत/-80 सामान्य-003-प्रशिक्षण 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0102-जनपदीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के नामे डाला जायेगा ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय
शरदिन्दु
संयुक्त सचिव

संख्या—429]1[/15 [13]/91-1499 [46] टी. सी. तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।

(2) शिक्षा निदेशक, वेसिक/माध्यमिक, उ. प्र., लखनऊ इलाहाबाद।

(3) निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा, उ प्र. लखनऊ।

(4) जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ, उन्नाव, इलाहाबाद, इटावा, बरेली, पीलीभीत, झाँसी, हमीरपुर फैजाबाद, वहराइच, मुरादाबाद, मेरठ, बुलन्दशहर, वाराणसी, बलिया, गोरखपुर, आगरा, मथुरा, नैनीताल तथा पिथौरागढ़।

(5) संबंधित मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक।

(6) संबंधित जिलों के क्षेत्रेय शिक्षा संस्थान/राजकीय दीक्षा विद्यालय।

(7) वित्त [व्यय नियंत्रण] अनुभाग-11

(8) नियोजन-4

(9) शिक्षा [3] अनुभाग।

(10) श्री के0 एम0 आचार्य, संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, [शिक्षा विभाग] शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

(11) वित्त [आय-व्ययक] अनुभाग-2

आज्ञा से,

ह0/—

अरविन्दु

संयुक्त सचिव।

निर्गमनार्थ प्राधिकृत

[प्रेमचन्द्र श्रीवास्तव]

अनुभाग अधिकारी

शिक्षा [13] अनुभाग

शासनादेश संख्या—429/15(13)/90-1499(46)/87 टी० सी० दिनांक अप्रैल, 1991 के साथ संलग्न तालिका।

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	प्रत्येक जनपद के लिए स्वीकृत पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1-	प्राचार्य	रु० 3,000-35,000-125-1750	20	1
2-	उप प्राचार्य	रु० 3,000-100-3,500-125-4250-4,500	20	1
3-	वरिष्ठ प्रवक्ता	रु० 2200-75-2800-द० रो०-100-4000	120	6
4-	प्रवक्ता	रु० 1600-50-2300-द० रो०-60-2660	340	17
5-	सांख्यकीकार	रु० 1400-40-1800-द० रो०-50-2300	20	1
6-	कार्यानुभव शिक्षक	— तदैव —	20	1
7-	तकनीकी सहायक	— तदैव —	20	1
8-	कार्यालय अधीक्षक	रु० 1400-40-1600-50-2300-द० रो०-60-2600.	20	1
9-	पुस्तकालयाध्यक्ष	— तदैव —	20	1
10-	लेखाकार	रु० 1400-40-1800-द० रो०-50-2300	20	1
11-	आशुलिपिक	रु० 1200-30-1560-द० रो०-40-2040	20	1
12-	लिपिक	रु० 950-20-1150-द० रो०-25-1500	180	9
13-	प्रयोगशाला सहायक	— तदैव —	40	2
14-	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	रु० 750-12-870-द० रो०-14-940	100	5

निर्गमनार्थ प्राधिकृति ह0/-

(प्रेमचन्द्र श्रीवास्तव)
अनुभाग अधिकारी
शिक्षा (13) अनुभाग

शारदिन्दु
संयुक्त सचिव

संख्या—764/15(13)/91-1499(79)/90

प्रेषक,

शरदिन्दु
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (भवन),
लोक निर्माण विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

शिक्षा (13) अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 15 मई, 1991;**

विषय :—केन्द्र पुरोनिधानित "जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना" योजनान्तर्गत द्वितीय चरण में प्रदेश के 8 जनपदों में संचालित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान/राज्य दीक्षा विद्यालयों के प्रांगण में उपलब्ध भूमि पर भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-रा0 शै0/15634/90-91, दिनांक 30-3-1991 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "केन्द्र पुरोनिधानित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना" योजना के द्वितीय चरण में निम्न विवरण के अनुसार प्रदेश के हरदोई, देहरादून, अलीगढ़, मैंनपुरी, सोनभद्र, रायबरेली, हरिद्वार तथा बाँदा जिलों में संचालित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान/राजकीय दीक्षा विद्यालय के प्रांगण में उपलब्ध भूमि पर राज्यपाल महोदय कुल रु0 3,91,56,000/-की अनुमानित लागत के आगणन का प्रशासकीय अनुमोदन एवं इतनी ही धनराशि की वर्ष 1991-92 में वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- चूंकि इस हेतु चालू वित्तीय वर्ष 1991-92 में कोई धन व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। व्यय जनहित में आवश्यक एवं अपरिहार्य हैं अत: राज्यपाल महोदय इस हेतु राज्य आकस्मिकता निधि में रु० 77,66,000/- (सत्तहत्तर लाख छाछठ हजार रुपये मात्र) की धनराशि की स्वीकृति एवं आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं।

क्र. सं.	क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान/ राजकीय दीक्षा विद्यालय	जनपद	अनुमानित स्वीकृत लागत	वर्ष 1991-92 में व्यय की जाने वाली धनराशि
				(लाख रुपये में)
1—	राजकीय महिला दीक्षा विद्यालय, हरदोई	हरदोई	51·00	10.20
2—	राजकीय दीक्षा विद्यालय रुड़की	हरिद्वार	60·00	11.65
8—	राजकीय महिला दीक्षा विद्यालय, देहरादून	देहराहन	39·81	8·00
4—	राजकीय महिला दीक्षा विद्यालय, रायबरेली	रायबरेली	60.00	12,00
5—	राजकीय दीक्षा विद्यालय बांदा	वाँदा	60·00	11-65
6—	राजकीय दीक्षा विद्यालय राबर्टगंज	सोनभद्र	33.75	6·76
7—	राजकीय दीक्षा बिद्यालय हाथरस	अलीगढ़	50.00	10·00
8—	राजकीय दीक्षा विद्यालय भोगाँव	मैंनपुरी	37.00	7.40
			योग — 891·56	77·66

3— उक्त निर्माण कार्य तभी प्रारम्भ किया जाय जब स्तीकृति लागत पर बने विस्तृत आगणन पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान कर दी जाय ।

4— उपर्युक्तानुसार होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 1991-62 में प्रथमत: 8000 राज्य आकस्मिकता निधि के लेखों तथा अन्तत: आय-व्ययक की अनुदान संख्या—75 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक — 4202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृत पर पूंजी परिव्यय आयोजनागत —01—सामान्य शिक्षा—600—सामान्य—01—केन्द्रीय आयोजनागत—केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं—भवन निर्माण—0101—जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हेतु भवनों का निर्माण हरदोई, हरिद्वार, देहरादून, राबरेली, बांदा, सोनभद्र, अलीगढ़, तथा मैनपुरी जनपदों के भवनों, छात्रावास तथा क्वार्टरों का निमांण केन्द्र खोला जायेगा तथा इस सम्बन्ध सें भारत सरकार सें प्राप्त होने वाली धयराशि 1000/- केन्द्रीय सरकार से

सहायता अनुदान—03—केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान—22—सार्वजनिक निर्माण 2201—शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जमा किया जायेगा।

(शरदिन्दु)
संयुक्त सचिव

वित्त विभाग
संख्या ई—8—सी. एफ./16/दस—91

उपर्युक्त की प्रतिलिपि महालेखाकार, उ. प्र., इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से
(ध्रुव नारायण तिवारी)
संयुक्त सचिव

शिक्षा विभाग

संख्या—704 [1]/15[13]/91—1499 [79]/90 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— महालेखाकार, प्रथम, ए. एण्ड ई. उ. प्र. इलाहाबाद
2— उपसचिव भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
3— शिक्षा, माध्यमिक एवं बेसिक, उ. प्र., लखनऊ
4 — शिक्षा [3] अनुभाग
5— शिक्षाधिकारी, लखनऊ
6— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—8
7— वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग
8— नियोजन अनुभाग—4
9— निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ. प्र., लखनऊ

आज्ञा से
[शरदिन्दु]
संयुक्त सचिव

संख्या—1184/15[13]/91—1499[55]/99

प्रेषक,

शरदिन्दु
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद, उ. प्र., लखनऊ

शिक्षा [13] अनुभाग — लखनऊ : दिनांक 21 मई' 1991

विषय :—केन्द्र पुरोनिधानित शिक्षक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण में स्थापित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए सृजित अस्थायी पदों का वर्ष 1991—92 में सततीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक—राशै/14938—42/पांच [63]/90—91 दिनांक 16—3—61 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या—1736/15[13]/10/1599]5–]/90 दिनांक 18 सितम्बर, 1990 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने संलग्न तालिका में उल्लिखित अस्थायी पदों को उनके समक्ष अंकित वेतनमानों में 1 मार्च, 1991 से 29 फरवरी, 1992 तक चलते रहने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। यदि वे इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जायें।

2— उपर्युक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी अनुमन्य होंगे।

3— उक्त पदों पर होने वाल व्यय वित्तीय वर्ष 1691–92 के आय-व्ययक अनुदान संख्या—69 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा—आयोजनागत—80—सामान्य—003—प्रशिक्षण—01—केन्द्रीय—आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—0102—जनपदीय प्रशिक्षण कार्यक्रम—जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (शत प्रतिशत) के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक :—उपरोक्तानुसार

भवदीय
ह०/-
[शरदिन्दु]
संयुक्त सचिव

संख्या—1184 (1)/15(13)/91—1499[55]/99 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, उ. प्र., इलाहाबाद

2— शिक्षा निदेशक (मध्यमिक/बेसिक), उ0 प्र0, लखनऊ-इलाहाबाद

3— निदेशक—प्रौढ़ शिक्षा, उ. प्र., लखनऊ

4— जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ, उन्नाव, इलाहाबाद, इटावा, प्रीलीभीत, झांसी, गोरखपुर, फैजाबाद मुरादाबाद, मेरठ, वाराणसी, बलिया आगरा, मथुरा, नैनीताल तथा पिथौरागढ़ ।

5– समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक

6– संबन्धित जिलों के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान/राजकीय दीक्षा विद्यालय ।

7– वित्त [व्यय नियंत्रण] अनुभाग–11.

8– नियोजन अनुभाग—4

9– शिक्षा (3) अनुभाग।

10– श्री के0 एम0 आचार्य, संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) शास्त्री भवन नई दिल्ली।

11– वित्त (आय व्ययक) अनुभाग—2

आज्ञा से

[शरदिन्दु]

संयुक्त सचिव

शासनादेश संख्या—1184/15(13)/91-1499(55)/90 दिनांक 21मई, 1991 के साथ

संलग्न तालिका

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	प्रत्येक जनपद के लिए स्वीकृत पदों की संख्या
1—	प्राचार्य	रु० 3,000-100-35,000-125-4750	20	1
2—	उप प्राचार्य	रु० 3,000-100-3,500-125-45,00	20	1
3—	वरिष्ठ प्रवक्ता	रु० 2200-75-2800-द रो0-100-4000	120	6
4—	प्रवक्ता	रु0 1600-50-2300-द रो-60-2660	340	17
5—	सांख्यकीकार	रु० 1400-40-1800-द0 रो0-50-2300	20	1
6—	कार्यानुभव शिक्षक	— तदैव —	20	1
7—	तकनीकी सहायक	— तदैव —	20	1
8—	कार्यालय अधीक्षक	रु० 1400-40-1600-50-2300-द0 रो0-60-2600-	20	1
9—	पुस्तकालयाध्यक्ष	— तदैव —	20	1
10—	लेखाकार	रु० 1400-40-1800-द0रो0 50-2300	20	1
11—	आशुलिपिक	रु० 1200-30-1560- द0रो0-40-2040-	20	1
12—	लिपिक	रु0 950-20-1150-द0रो-25-1500	180	9
13-	प्रयोगशाला सहायक	रु0 950-20-1150-द0रो0 25-1500	40	2
14—	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	रु0 750-12-870-द0रो0 14-940	100	5
		कुल पद	960	(नौ सौ साठ)

ह0/-

(शरदिन्दु)

संयुक्त सचिव।

संख्या 2279/15(13)/90-1499(44)/90

प्रेषक,

आर० के० जैन,
उप सचिव,
उ० प्र० शासन,

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (भवन)
लोक निर्माण विभाग,
उ० प्र०, लखनऊ।

शिक्षा (13) अनुभाग लखनऊ दिनांक 25 नवम्बर 1991

विषय:— केन्द्र पुरोनिधानित् 'जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापन'' योजनान्तर्गत प्रथम चरण में प्रदेश के 7 जनपदों में संचालित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान/राज्य दीक्षा विद्यालयों के प्रांगण में उपलब्ध भूमि पर भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या राशै/ 10917-18/90-91 दिनांक 5-12-90 के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय केन्द्र पुरोनिधानित "जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना" योजना के प्रथम चरण में निम्न विवरण के अनुसार प्रदेश के बुलन्दशहर, इलाहाबाद, फैजाबाद, नैनीताल, मुरादाबाद गोरखपुर तथा पिथौरागढ़ जिलों में संचालित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान/ राजकीय दीक्षा विद्यालय के प्रांगण में उपलब्ध भूमि पर 2,06,29,000 रुपया अनुमानित लागत के आगणन का प्रशासकीय अनुमोदन एवं इतनी ही धनराशि की वित्तीय स्वीकृति तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2,06,29,000 रुपये की धनराशि व्यय की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- चूंकि चालू वित्तीय वर्ष 1991-92 में आय - व्यय में इस मद हेतु कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है और व्यय जनहित में आवश्यक एवं अपरिहार्य है, अत: राज्यपाल महोदय राज्य आकस्मिकता निधि से रू० 2,06,29,000 (रुपया दो करोड छ: लाख उन्तीस हजार मात्र) की धनराशि को निम्न विवरणानुसार स्वीकृति तथा आहरित किये जाने की अनुमति भी प्रदान करते हैं :—

क्र० सं०	क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान/ राजकीयदीक्षा विद्यालय	जनपद	वर्ष 91-92 में व्यय की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4
1-	राजकीय दीक्षा विद्यालय (महिला) बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	41-06-000
2-	राजकीय दीक्षा विद्यालय (पुरुष) मजनपुर, इलाहाबाद।	इलाहाबाद	29-12-000

3-	राजकीय जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज, फैजाबाद	फैजाबाद	33,03,000
4-	राजकीय दीक्षा विद्यालय (पुरुष) भीमताल, नैनीताल	नैनीताल	29,90,000
5-	राजकीय दीक्षा विद्यालय (पुरुष) कांठ, मुरादाबाद	मुरादाबाद	22,44,000
6-	राजकीय जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज, गोरखपुर	गोरखपुर	18,52,000
7-	राजकीय दीक्षा विद्यालय (पुरुष) डीडीहाट, पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	32,22,000
		योग	2,06,29,000

3- उक्त निर्माण कार्य तभी प्रारम्भ किया जाय जब स्वीकृति लागत पर बने विस्तृत आगणन पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान कर दी जाय ।

4- उपर्युक्तानुसार होने वाला व्यय प्रथमतः वित्तीय वर्ष 1991-92 के आय-व्ययक के लेखा शीर्षक ''8000 राज्य आकस्मिकता निधि तथा अन्ततः अनुदान संख्या 75 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4202- शिक्षा, खेल कूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01 सामान्य शिक्षा-600 सामान्य-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानितायोजनायें-0101-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों हेतु भवनों का निर्माण बुलन्दशहर, इलाहाबाद, फैजाबाद,नैनीताल, मुरादाबाद, गोरखपुर पिथौरागढ़ जनपदों के भवनों, छात्रावास तथा क्वार्टरों का निर्माण, के अन्तर्गत ससंगत प्राथमिक इकाई के नामे डाला जायेगा तथा इस सबंध में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि लेखाशीर्षक -1601- केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान -03- केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओ के लिए अनुदान-75 सार्वजनिक निर्माण विभाग-7501-शिक्षा विभाग'' के अन्तर्गत जमा की जायेगी ।

5- इस सम्बन्ध में व्यय की जो सूचना भारत सरकार को भेजी जायेगी उसमें 16 प्रति अधिष्ठान व्यय की धनराशि समलित करके दर्शायी जायेगी ।

6- उक्त पयोजनार्थ साख सीता देय होगो ।

भवदीय
ह०/-
(आर० के० जैन)
उप सचिव

संख्या ई-8-सी-एफ/152/दस-1991 दिनांक 19-11-1991

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से
[ध्रुव नारायण तिवारी]
संस्कृत सचिव, वित्त

संख्या 2279 [1]/15[13]/91-1499[46]/81 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित कों सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1- महालेखाकार प्रथम, एण्ड ई० उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- उपसचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय [शिक्षा विभाग] शास्त्रीभवन नई दिल्ली।

3- शिक्षा निदेशक माध्यमिक एवं बेसिक, उ0 प्र० लखनऊ।

4- शिक्षा (3) अनुभाग,

5- कोषाधिकारी, लखनऊ

6- वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग—8

7- वित्त संसाधन [केन्द्रीय सहायता] अनुभाग,

8- नियोजन अनुभाग—4

9- निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ. प्र., लखनऊ।

10- वित्त (आय-व्ययक अनुभाग-2,

आज्ञा से

ह0 —

[आर० के0 जैन]

उप सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार

शिक्षा (13) अनुभाग

संख्या—1483/15(13)/91/1499(98)/90

लखनऊ : दिनांक नवम्बर 21 1991

कार्यालय-ज्ञाप

राज्यपाल महोदय प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई तथा रायबरेली को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 (भाग 2 से 4) खण्ड–3, एवं खन्ड–5 (भाग-1) तथा उ० प्र० बजट मैनुअल में उल्लिखित नियमों के लिए "कार्यालयाध्यक्ष" घोषित करते हैं।

2— यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–1637/10–14(1)/75, दिनांक 26 जून, 1975 में प्रतिनिहित अधिकारों के कार्मिक विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

आर० के० जैन
उप सचिव

संख्या—1483/(1)/15(13)/91–1499(98)/90—**तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1- निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ० प्र०, लखनऊ।
2- शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उ० प्र०, इलाहाबाद।
3- शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), उ० प्र०, लखनऊ।
4- शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ० प्र०, लखनऊ।
5- निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा, उ० प्र०, लखनऊ।
6- महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद।
7- प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई/रायबरेली।
8- कोषाधिकारी, हरदोई/रायबरेली।
9- वित्त संख्या अनुभाग-1 व 2
10- वित्त आय व्ययक अनुभाग-4
11- वित्त (सामान्य) अनुभाग-4
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11
13- समस्त शिक्षा विभाग, मानव संसाधन एवं विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
14- समस्त विभागाध्यक्ष, उ० प्र०।
15- कार्मिक अनुभाग-4

आज्ञा से
(आर० के० जैन)
उप सचिव

सं०—2181/15(13)/91—1499(98)/90

प्रेषक,

आर० के० जैन,
उप सचिव,
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद, उ० प्र०,
लखनऊ।

शिक्षा (13) अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 28 नवम्बर, 1991**

विषय:—प्रधानाचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हरदोई तथा रायबरेली को आहरण एवं वितरण **अधिकारी** घोषित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अर्धशासकीय पत्रसंख्या-रा० शै०/2918/91-92 दिनांक 14-6-1991 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान हरदोई तथा रायबरेली को आहरण एवं वितरण के अधिकार दिये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

2- आहरण एवं वितरण अधिकारी के प्रतिनिधायन से सम्बन्धित उक्त आदेश वित्त शिक्षा अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-701/दस-14(1)/1973, दिनांक 28 जुलाई 1973 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं। कृपया उपरोक्त-आदेशानुसार कार्यवाही-सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय
आर0 के0 जैन
उप सचिव

संख्या—2181(1)/15(13)91-1499(98)/90 **तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1- महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद।
2- शिक्षा निदेशक, (उच्च शिक्षा), माध्यमिक शिक्षा, (बेसिक शिक्षा), तथा प्रौढ़ शिक्षा, उ० प्र०, लखनऊ।
3- निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ० प्र०, लखनऊ।
4- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई/रायबरेली।
5- कोषाधिकारी, हरदोई/रायबरेली।
6- वित्त (लेखा अनुभाग-2 तथा वित्त व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11
7- शिक्षा अनुभाग-1, 2 तथा 3

आज्ञा से
(आर० के० जैन)
उप सचिव

No. F, 2-20/87-TE-I
Government of India
Ministry of Human Resource Development
(Department of Education)

New Delhi, dated the 20th January, 1992

To,

The Principal Accounts Officer
Ministry of Human Resource Development,
(Department of Education)
New Delhi-110 001.

Subject—Centrally Sponsored Scheme of Teacher Education-setting up of District Institutes of Education & Training, Uttar Pradesh.

Sir,

I am directed to state that a meeting of the State Level Empowered Committee for Uttar Pradesh constituted in connection with the Centrally Sponsored Scheme of Teacher Education (herein after referred to as 'the Scheme') was held at Lucknow on 27-11-91 to consider the individual projects prepared by the State Government Task Force for the DIETs component of the scheme. In the light of decisions of the empowered Committee, I am directed to convey the approval of the Government of india to the upgradation, on project basis, of the following 22 Government Elementry Teacher Education Institutions (ETEIs) of Uttar Pradesh into District Institutes of Education and Training (DIETs) to serve the districts :-

Sl. No.	Name of ETEI	Sl. No.	Name of ETEI
1-	Ghazipur	12-	Sitapur
2-	Uttarkashi	13-	Chamoli
3-	Jalaun	14-	Lakhimpur Kheri
4-	Bijnor	15-	Sidharth Nagar
5-	Gonda	16-	Basti
6-	Deoria	17-	Firozabad
7-	Sultanpur	18-	Pratapgarh
8-	Mirzapur	19-	Saharanpur
9-	Mau	20-	Etha
10-	Azamgarh	21-	Pauri
11-	Kanpur Dehat	22-	Tehri

Central assistance for various items on non-recurring expenditure for the above projects would be available to the extent shown in Annex-I.

2. In connection with the above projects, I am also directed to convey the sanction of President to the payment of the 1st instalment of Central assitance to the Government of Uttar Pradesh for various items of non-recurring expenditure to the extent shown below :

	Project	Amount of Central assistance sanctioned for payment to the State Government. (Rs, in Lakhs.)		
		Civil Work	Equipment	Total
1-	Ghazipur	20.00	7.02	27 02
2-	Uttarkashi	20.00	7.02	27.02
3-	Jalaun	31.80	7.02	38.82
4-	Bijnor	31.80	7.02	38.82
5-	Gonda	31 80	7.02	38.82
6-	Deoria	31.80	7.02	38 82
7-	Sultanpur	31.80	7.02	38 82
8-	Mirzapur	31.80	7.02	38.82
9-	Mau	31 80	7.02	38.82
10-	Azamgarh	31.80	7.02	38.82
11-	Kanpur Dehat	37.80	7.02	38.82
12-	Sitapur	31.80	7.02	38.82
13-	Chamoli	31.80	7.02	38.82
14-	Lakhimpur Kheri	31.80	1.02	38.82
15-	Sidharth Nagar	31.80	7.02	38 82
16-	Basti	31.80	7.02	38.82
17-	Firozabad	31.80	7.02	38.82
18-	Pratapgarh	31.80	7.02	38 82
19-	Saharanpur	31.80	7.02	38.82
20-	Etha	31.80	7.02	38.82
21-	Pauri	31.80	7.02	38.82
22-	Tehri	37.80	7.02	38.82
	Total	676.00	154.44	830.44 or say 830.00

(Rupees eight crores and thirty lakhs only)

The balance amount of central assistance for Civil Works as also assistance for hostel equipment and computers will be released on receipt of reports of project-wise utilisation of grants from the State Government to the extent of 75% of the 1st instalment being hereby released and corresponding physical progress of work.

3- The Government of India are also pleased to approve that each of the above 22 DEITs will have posts as indicated in Annex Pay scales of these posts will be determined by the State Govt., keeping in view the guidelines circulated vide D. O. letter No. F.7-7/87-TE-I, dated 26-10-1987 from Y.N. Chaturvedi, Joint Secretary of this Deptt. A copy of every such order specify pay scales will be endorsed to this Department. The posts at present existing in the institutions selected for upgradation will as the case may be, upgraded, retained or abolished, and additional posts to the extent necessary will be created by the State Government so that the DIETs have the complement of staff indicated in Annex II, for items of recurring exoenditure,

that is pay and allowances of the staff as per Annex-II, and expenses incurred in organising various programmes in the DIETs, Central assistance will be provided upto the end of 1991-92 to the extent of actual requirement reduced by the level of amount already being spent by the State Government on the institutions during the year 1990-91.

4. The above grant of Central assistance is subject to the following conditions :—

i) Projects will be implemented and expenditure incurred conformity with the guidelines circulated to all State Government vide D.O. letter No. F.7-7/87-TE -I, dated 26-10-1987 from Shri Y. N. Chaturvedi, Joint Secretary of this Department and such other guidelines as may be circulated in fututre.

ii) Recruitment of staff will be done according to the eligibility criteria recommended in Annex-IV of the above guidelines. Staff will be recruited as early as possible, and will be assured a minimum tenure of 3 years pending final decision by the State Government of the Question of forming a separate cadre for DIETs of the State.

iii) All new buildings will be designed and constructed in the most economical manner possible. In particular all efforts will be made to construct hostel buildings having inmate capacity indicated in Annex I, within the amount of central assistance indicated therein. Suitable innovative designs, techniques and building material will be used to achieve this objective. If any case, building works will be taken up and executed in such a manner as to be completed within the cost ceiling indicated in Annex I.

iv) The responsibility for maintenance of buildings and equipment to be construated/procurred by the State Government with Central assistance being hereby provided shall rest entirely with the State Government.

v) The State Government shall get developed standared lists and specifications for the following categories of equipment for the DIETs of the State and all the purchases shall be made according to such standard lists/specifications :

(a) Library Books;
(b) Lab. Equipment;
(c) Equipment for work experience;
(d) Audio-Visual Aids and other educational aids;
(e) Computer configuration;

Copies of standard lists/specifications developed as above will be sent to this Department and the Head Department of Teacher Eduacation, NCERT, New Delhi, within a month from the issue of this sanction.

(vi) The amount of grant shall be utilised only for the purpose for which it is sanctioned and the unspent balance of the grant shall be refunded by the State Government. after the close of the financial year. unless permission is granted for its being carried forward for utilisation for the same purpose during the next year.

(vii) A copy of every order of the State Government according administrative approval or financial sanction for any item of non-recurring or recurring expenditure (including orders concerning posts) in connection with the above projects will be endorsed to this Department.

5- The expenditure of Rs. 830.00 lakhs will be debited to Demand No. 47 - Department of Education - Major Head "3601" F. Grants-in-aid to State Governments, F. 3-Grants for Central Plan Schemes, F. 3(3)-Elementary Education Teacher Training F. 3(3)(1)-Strengthening of Teacher Training Institutions, (Plan) - 1991-92.

6- The pattern of grant/expenditure has been approved by the Ministry of Finance. This sanction is being issued in conformity with the rules and principles of the scheme as approved by the Ministry of Finance.

7- This issue with the concurrence of IF-IVide their Dy. No. 317-0/92-IF-I, dated 15-1-1992

Yours faithfully
S. K. Grover
Under Secretary to the Govt. of India

Copy forwarded for information and necessary action to :

1. Director of Audit, Central Revenues, (Special Cell), New Delhi
2. The Education Secretary, Government of Uttar Pradesh, Lucknow
3. The Accountant General (Audit), Uttar Pradesh, Allahabad
4. IFD/IF-I Section/EC Unit (Local),
5. Director (Planning) (Local)
6. Adviser (Education), Planning Commission, New Delhi,
7. Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Finance Department, Lucknow
8. Director SCERT, Nishatganj, Lucknow
9. The Director of school Education, Lucknow.
10. Director, NCERT/NIEPA/Adult Education, New Delhi
11. Head, Department of Teacher Education, Special Education and Extension Services NCERT, New Delhi
12. Field Adviser, NCERT, Uttar Pradesh, Allahabad
13- Programmer
14. Guard File.

S. K. Grover)
Under Secretary to the Govt. of India

Annex-I to Ministry of Human Resource Development (Department of Education)
Letter No. F, 2-20/87-TE-I, dated 20-1-1992

Amount of central assistance approved for non-recurring items of expenditure for DIET projects of the State of Uttar Pradesh

Item	Projects Ghazipur and Uttarkashi (For each Projects)	Projects-Jalaun, Bijnor, Gonda, Deoria Sultanpur, Mirzapur, Mau, Azamgarh, Kanpur Dehat, Sitapur, Chamoli, Basti, Lakhimpu Kheri, Sidhartnagar, Firozabad, Pratapgarh, Saharanpur, Etha, Pauri & Tehri (For each Projects)
1. Civil Works :		
i) Basic amenities	1.00	—
ii) Special repairs	1.30	—
iii) New Construction :		
a) Instt. Bldg. (Aca + Adm. Wings)	12.70	26.00
b) Hostel (Number of Seats)	21.00 (100 seats)	32 00 (150 seater)
c) Staff Quarters	4.00 (Four Quarters)	5.60 (Five Quarters)
Total (a + b + c)	37.70	63 60
iv) Total (1) Civil Works (i + ii + iii)	40.00	63·60
2. Equipment		
i) Books	1.50	1.25
ii) AV Aids	0.86	1 86
iii) Lab. & Workshop Equipment	1.55	1.55
iv) Phy. Edn., Sports & Music Equipment	0.70	0.70
v) Computers	1.50	1.50
vi) Hostel Equipment	1.49	1.48
vii) Furniture for Non-hostel purposes	1.50	1.50
viii) Other Equipment	1.16	1.16
Total (2)—Equipment	10.00	10.00
3. Total — Non-Recurring—Items (1 + 2)	0.00 + 10 00 = 50.00 Lakhs	63.00 + 10.00 = 73.60 Lakhs

Annex-II to Ministry of Human Resource Development (Department of Education) Letter No. F, 2-20/87-TE-I, dated 20-1-1992

Statement of posts approved for each DIETs of Uttar Pradesh mentioned in sanctioned letter dated 20-1-1992

	Branch	*Name of Post*	
		Principal	1
1.	PSTE	1. Sr. Lect.	1
		2. Lects.	8
2.	IFIC	1. Sr. Lect.	1
		2. Lect.	1
		3. Clerk	1
3.	DRU	1. Vice Principal	1
		2 Lect., AE	2
		3. Lect., NFE	2
		4. Clerk	2
4.	P & M	1. Sr. Lect.	1
		2. Lect.	1
		3. Statisticial	1
5.	ET	1. Sr. Lect.	1
		2. Lect.	1
		3. Technician	1
6.	WE	1. Sr. Lect.	1
		2. Lect.	1
		3. WE Teacher	1
7.	CMDE	1. Sr. Lect.	1
		2. Lect.	1
8.	Admn.	1. DS	1
		2. Librarian	1
		3. Accountant	1
		4. Steno	1
		5. Clerks	6
		6. Lab. Asstts.	2
		7. Class IV	5 (*)
		TOTAL :	48

(*) Wherever the existing number of class IV posts in an ETEI being upgraded is more than five, they may be continued entirely at the State Government's cost, as at present

संख्या—501/15[13]/92-1499[46]/87 टी.सी,

प्रेषक,

श्री आर. के. जैन,
उपसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

शिक्षा [13] अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 23 मार्च, 1992

विषय :—केन्द्र पुरोनिधानित शिक्षक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में स्थापित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए सृजित अस्थायी पदों का वर्ष 1992-93 में सततीकरण

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक रा. शै./14305/पाँच/[63]/91-92 दिनांक 19—2—92 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या—255/15[13]89-1499 [46]/87 टी. सी. दिनाँक 16-3-89, 1813/15[13]/90-1499[46]/87 टी.सी. दिनाँक 17—11—1990 तथा 429/15[13]/91-1499 [46]/87 टी.सी. दिनाँक 20 अप्रैल, 1991 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने संलग्न तालिका में उल्लिखित अस्थायी पदों को उनके समक्ष अंकित वेतनमानों मे 1 मार्च, 1992 से 28 फरवरी 1993 तक चलते रहने की स्वीकृति प्रदान कर दी है, यदि वे इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जायें ।

2— उपर्युक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे ।

3 – उपर्युक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन हैं कि इन पदों पर होने वाला व्यय वर्ष 1992—93 के लेखानुदान एवं तत्संबधी विनियोग अधिनियम द्वारा उपलब्ध हो जाय तथा उसके बाद व्यय मूल आय व्ययक एवं तत्सम्बन्धी विनियोग अधिनियम द्वारा पूरित हो जाय ।

4— उक्त पदों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्यय अनुदान संख्या—75 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2202—सामान्य शिक्षा—आयोजनागत—80—सामान्य—003—प्रशिक्षण—01—केन्द्रीय

आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं—0102—जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान [शत-प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित] के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

[आर. के. जैन]
उप सचिव

संख्या—501(1)/15(13)92-1499(46)/87 टी० सी० तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, उ. प्र., इलाहाबाद

2— शिक्षा निदेशक (माध्यमिक/बेसिक), उ0 प्र0, लखनऊ-इलाहाबाद

3— निदेशक—प्रौढ़ शिक्षा, उ. प्र., लखनऊ

4— जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ, उन्नाव, इलाहाबाद, इटावा, बरेली, पीलीभीत, झांसी, हमीरपुर, गोरखपुर, फैजाबाद, बहराइच, मुरादाबाद, मेरठ, वाराणसी, बुलन्दशहर, बलिया आगरा, मथुरा, नैनीताल तथा पिथौरागढ़।

5- सम्बन्धित मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक

6- संबन्धित जिलों के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान/राजकीय दीक्षा विद्यालय।

7- वित्त [व्यय नियंत्रण] अनुभाग-11.

8- नियोजन —4

9- शिक्षा (3) अनुभाग।

10- श्री यू0के0 सिन्हा, निदेशक, अध्यापक शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, {शिक्षा विभाग] शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

11- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग—2

आज्ञा से

(आर. के. जैन)

उप सचिव

शासनादेश संख्या—501/15(13)/90-1499(46)/87 टी० सी० दिनांक 23 मार्च, 1992
के साथ संलग्न तालिका

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	प्रत्येक जनपद के लिए स्वीकृत पदों की संख्या
1-	प्राचार्य	रु० 3,000-100-35,00-125-4750	20	1
2-	उप प्राचार्य	रु० 3,000-100-2,500-125-45,00	20	1
3-	वरिष्ठ प्रवक्ता	रु० 2200-75-2800-द रो0-100-4000	120	6
4-	प्रवक्ता	रु0 1600-50-2300-द रो-60-2660	340	17
5-	सांख्यकीकार	रु० 1400-40-1800-द0 रो0-50-2300	20	1
6-	कार्यानुभव शिक्षक	— तदैव —	20	1
7-	तकनीकी सहायक	— तदैव —	20	1
8-	कार्यालय अधीक्षक	रु० 1400-40-1600-50-2300-द0 रो0-60-2600-	20	1
9-	पुस्तकालयाध्यक्ष	— तदैव —	20	1
10-	लेखाकार	रु० 1400-40-1800-द0रो0 50-2300	20	1
11-	आशुलिपिक	रु० 1200-30-1560- द0रो0-40-2040-	20	1
12-	लिपिक	रु0 950-20-1150-द0रो-25-1500	180	9
13-	प्रयोगशाला सहायक	रु0 950-20-1150-द0रो0 25-1500	40	2
14-	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	रु0 750-12-870-द0रो0 14-940	100	5
		योग	960	(नौ सौ साठ)

ह0/-
आर०के०जैन
उप सचिव।

संख्या—787/15-(13)/92-1499(55)/90

प्रेषक,

आर० के० जैन,
उपसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसन्धान और
प्रशिक्षण परिषद, उ0 प्र0,
लखनऊ।

शिक्षा [13] अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 24 मार्च, 1992**

विषय :— केन्द्र पुरोनिधानित शिक्षक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण में स्थापित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिये सृजित अस्थायी पदों का वर्ष 1992-93 में सततीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–रा0 शै0/14213–17/पांच(63)91–92, दिनांक 17–2–92 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या–1736/15(13)/90–1499(55)/90 दिनांक 18 सितम्बर, 1990 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने संलग्न तालिका में उल्लिखित अस्थायी पदों को उनके समक्ष अंकित वेतनमानों में 1 मार्च, 1992 से 28 फरवरी, 1993 तक चलते रहने की स्वीकृति प्रदान कर दी है, यदि वे इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जायें।

2– उपर्युक्त पदों के पद धारकों को शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी अनुमन्य होंगे।

3– उपरोक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि इन पदों पर होने वाला व्यय वर्ष 1992–93 के लेखानुदान एवं तत्सम्बन्धी विनियोग अधिनियम द्वारा उपलब्ध हो जाय तथा उसके बाद व्यय मूल आय-व्ययक एवं तत्सम्बन्धी विनियोग अधिनियम द्वारा पूरित हो जाय।

4- उक्त पदों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-75 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनागत-80-सामान्य-003-प्रशिक्षण-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0102-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (शत प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित) के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक :— उपरोक्तानुसार।

भवदीय
आर० के० जैन
उप सचिव

संख्या—787 (1)/15(13)/92—1499[55]/90 **तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1- महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- शिक्षा निदेशक माध्यमिक/बेसिक, उ0 प्र0, लखनऊ/इलाहाबाद।
3- निदेशक-प्रौढ़ शिक्षा, उ. प्र., लखनऊ।
4- जिला विद्यालय निरीक्षक, फतेहपुर, कानपुर नगर, फर्रूखाबाद, शाहजहाँपुर, ललितपुर, रामपुर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, अल्मोड़ा हरदोई, बाराबंकी, जौनपुर, गाजियाबाद, बदायूं, देहरादून, रायबरेली, मैनपुरी, बांदा तथा हरिद्वार।
5- समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक।
6- संबन्धित जिलों के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान/राजकीय दीक्षा विद्यालय।
7- वित्त [व्यय नियंत्रण] अनुभाग-11
8- नियोजन अनुभाग—4
9- शिक्षा (3) अनुभाग।
10- श्री के0 एम0 आचार्य, संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, [शिक्षा विभाग] शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
11- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग—2

आज्ञा से
आर0 के0 जैन
उप सचिव

शासनादेश संख्या—787/15(13)/92-1499(55)/90 **दिनांक** 24 **मार्च** 1992, **के साथ संलग्न तालिका**

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	प्रत्येक जनपद के लिए स्वीकृत पदों की संख्या
1-	प्राचार्य	रु० 3,000-100-35,00-125-4750	20	1
2-	उप प्राचार्य	रु० 3,000-100-3,500-125-45,00	20	1
3-	वरिष्ठ प्रवक्ता	रु० 2200-75-2800-द० रो०-100-4000	120	6
4-	प्रवक्ता	रु0 1600-50-2300-द0 रो0-60-2660	340	17
5-	सांख्यकीकार	रु० 1400-40-1800-द0 रो0-50-2300	20	1
6-	कार्यानुभव शिक्षक	— तदैव —	20	1
7-	तकनीकी सहायक	— तदैव —	20	1
8-	कार्यालय अधीक्षक	रु० 1400-40-1600-50-2300-द0 रो0-60-2600.	20	1
9-	पुस्तकालयाध्यक्ष	— तदैव —	20	1
10-	लेखाकार	रु० 1400-40-1800-द0रो0-50-2300	20	1
11-	आशुलिपिक	रु० 1200-30-1560- द0 रो0-40-2040.	20	1
12-	लिपिक	रु0 950-20-1150-द. रो.-25-1500	180	9
13-	प्रयोगशाला सहायक	रु0 950-20-1150-द. रो.-25-1500	40	2
14-	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	रु0 750-12-870-द0 रो0 14-940	100	5
		कुल पद	960	(नौ सौ साठ)

ह0/-

आर०के०जैन

उप **सचिव** ।

संख्या—155/15(13)/92-1499(44)/90

प्रेषक,

जयराम सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (भवन)
लोक निर्माण विभाग:
उ० प्र०, लखनऊ।

शिक्षा (13) अनुभाग **लखनऊ : दिनांक** 27 **मार्च**, 1992

विषय :—केन्द्र पुरोनिधानित "जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना" योजनान्तर्गत प्रथम चरण के 2 जनपदों [इटावा और मेरठ] में संचालित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान/राजकीय दीक्षा विद्यालयों के प्रांगण में उपलब्ध भूमि पर भवनो के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ० प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या रा० शै०/12988-89/91-92, दिनांक 18 जनवरी, 1992 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय केन्द्र पुरोनिधानित "जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना" योजना के प्रथम चरण में निम्न विवरण के अनुसार प्रदेश के इटावा तथा मेरठ इन दो जिलों में संचालित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान/राजकीय दीक्षा विद्यालय के प्रांगण में उपलब्ध भूमि पर रु० 47,35,000/- की अनुमानित लागत के आगणनों का प्रशासकीय अनुमोदन और उक्त कार्यों में रु० 10,03,000/- के सेन्टेज चार्जेज को समायोजित करते हुए निहित हुए/रु० 37,32,000/- की वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं:—

क्र० सं०	क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान/ राजकीय दीक्षा विद्यालय	कुल अनुमानित लागत जिसका प्रशासकीय अनुमोदन दिया जा रहा है।	कार्य में निहित सेन्टैज चार्जेज	सेन्टैट चार्जेज के समायोजन के बाद शेष धनराशि जिसकी वित्तीय स्वीकृति दी जा रही है
1	2	3	4	5
1.	राजकीय दीक्षा विद्यालय (पुरुष) अजीतमल, इटावा	21,67,000	4,60,000	17,07,000

2-	राजकीय दीक्षा विद्यालय (पुरुष) छोटा मवाना, मेरठ ।	25,68,000	9,47,000	20, 25,000
	योग	47,35,000	10,03,000	37,32,000

2- चूंकि चालू वित्तीय वर्ष 1991-92 के आय-व्ययक में इस मद हेतु कोई व्यवस्था नहीं है और व्यय जनहित में आवश्यक एवं अपरिहार्य है, अतः राज्यपाल महोदय राज्य आकस्मिकता निधि सें रु० 37,32,000 [रुपया सैंतीस लाख बत्तीस हजार मात्र] की धनराशि अग्रिम के रूप सें आहरित किये जाने की भी अनुमति प्रदान करते हैं ।

3- उक्त निर्माण कार्य तभी प्रारम्भ किया जाय जब स्वीकृत लागत पर बने विस्तृत आगणन पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान कर दी जाय ।

4- उपर्युक्तानुसार होने वाला व्यय प्रथमतः वित्तीय वर्ष 1991-92 के आय-व्ययक के लेखा शीर्षक '8000-राज्य आकस्मिता निधि तथा अन्ततः अनुदान संख्या 75 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक' 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01- सामान्य शिक्षा-600-सामान्य-01-केन्द्रीय आयोजनागत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-0101-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों हेतु भवनों का निर्माण-इटवा, मेरठ जनपदों के भवनों, छात्रावास तथा क्वार्टरों का निर्माण के अन्तर्गत सुसंगत, प्राथमिक इकाई के नामे डाला जायेगातथा इस सम्बन्ध में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि लेखाशीर्षक-1601-केन्द्रीय सरकारसे सहायता अनुदान-03-केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान-75-सार्वजनिक निर्माण विभाग-7501-शिक्षा विभाग" के अन्तर्गत जमा की जायेगी ।

5- इस सम्बन्ध में व्यय की जो सूचना भारत सरकार को भेजी जायेगी उसमें 27·23% अधिष्ठान व्यय [सेन्टेज चार्जेज] के रूप में आगणित रु० 10,03,000/- की धनराशि सम्मिलत करके दर्शायी जायेगी ।

6- उक्त प्रयोजनार्थ साख सीमा देय होगी ।

भवदीय
(जय राम सिंह)
उप सचिव

वित्त विभाग

संख्या – ई-8-सी०एफ०/374 दस०1992 दिनांक : 23-3-1992

प्रतिलिपि महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(ध्रुव नारायण तिवारी
संयुक्त सचिव, वित्त

शिक्षा विभाग

संख्या 155[1]/15[13]/92-1499[44]/90 **तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1- महालेखाकार प्रथम, ए० एन्ड ई० उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

2- उप सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय [शिक्षा विभाग] शास्त्रीभवन नई दिल्ली ।

3- शिक्षा निदेशक, माध्यमिक एवं बेसिक, उ०प्र० लखनऊ ।

4- शिक्षा (3 अनुभाग,

5- कोषाधिकारी, लखनऊ

6- वित्त [व्यय नियंत्रण] अनुभाग—8,

7- वित्त संसाधन[केन्द्रीय सहायता] अनुभाग–1

8- नियोजन अनुभाग—4

9- निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् उ०प्र०, लखनऊ ।

10- वित्त आय-व्ययक अनुभाग–2,

आज्ञा से,

(जयराम सिह)
उप सचिव

संख्या—375/15[13]/92—1499[79]/90

प्रेषक,

जयराम सिंह
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता [भवन]
लोक निर्माण विभाग,
उ. प्र., लखनऊ

शिक्षा [13] अनुभाग | लखनऊ : दिनांक 27 मार्च 1992

विषय :— केन्द्र पुरोनिधानित "जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना" योजनान्तर्गत द्वितीय चरण में प्रदेश के 11 जनपदों में संचालित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान/राजकीय दीक्षा विद्यालयों के प्रांगण में उपलब्ध भूमि पर भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ. प्र., लखनऊ के पत्र संख्या–रा. शै./1378–79/91-92 दिनांक 25.10.91 से लम्बित पत्र व्यवहार के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित "जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानो की स्थापना" योजना के द्वितीय चरण में निम्न विवरण के अनुसार प्रदेश के गाजियाबाद, रामपुर, ललितपुर, मुजफ्फरनगर, फर्रुखाबाद शाहजहांपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, कानपुर-नगर, जौनपुर तथा बदायुं जिलों में संचलित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान/राजकीय दीक्षा विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध भूमि पर लोक निर्माण विभाग, उ. प्र. द्वारा —————— भवन निर्माण हेतु राज्यपाल महोदय क्रमश:38.50, 39.10, 37.74, 43.00, 28.20, 16.00, 32.30, 38.00 42.00, 44.20 तथा 42.00 लाख रुपये अर्थात कुल रु० 4, 01,04,000/[चार करोड़ एक लाख चार हजार रुपये मात्र]की अनुमानित लागत के आगणनो का प्रशासकीय अनुमोदन एवं इतनी ही धनराशि की वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- चूँकि इस हेतु चालू वित्तीय वर्ष 1991-92 के आय व्ययक में कोई धन व्यवस्था उपलब्ध नही है और व्यय जनहित में आवश्यक एवं अपरिहार्य है, अतः राज्यपाल महोदय इस हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से वर्तमान वित्तीय वर्ष 1991 92 में रु0 1,99,60,000/– [रुपया एक करोड़ निन्यानवे लाख साठ हजार मात्र] की धनराशि आहरित किये जाने की अनुमति भी प्रदान करते हैं।

क्र. सं.	क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान/ राजकीय दीक्षा विद्यालय	जनपद	अनुमानित स्वीकृत लागत (लाख रुपये में)	वर्ष 1991-92 में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5
1—	राजकीय दीक्षा विद्यालय, [पुरुष] हापुड़	गाजियाबाद	38.50	19.30
2—	राजकीय दीक्षा विद्यालय [पुरुष[रामपुर	रामपुर	39.10	18.50
3—	राजकीय जूनियर ट्रेनिंग कालेज ललितपुर	ललितपुर	37.74	19.00
4—	क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान]पुरुष] मुजफ्फर नगर	मुजफ्फरनगर	43.00	21.50
5—	राजकीय दीक्षाविद्यालय, [पुरुष] छिबरामऊ।	फरुखाबाद	28.20	14.10
6—	राजकीय दीक्षा विद्यालय [पुरुष] ददरौल	शाहजहाँपुर	16.00	8.00
7—	राजकीय दीक्षा विद्यालय [पुरुष] फतेहपुर	फतेहपुर	32.30	16.10
8—	राजकीय दीक्षा विद्यालय बाराबंकी [पुरुष] गणेशगंज	बाराबंकी	38.00	19.00
9—	राजकीय दीक्षा विद्यालय [पुरुष] नरवल।	कानपुर-नगर	42.00	21.00
10—	राजकीय दीक्षा विद्यालय [महिला] जौनपुर।	जौनपुर	44.20	22.10
11—	राजकीय दीक्षा विद्यालय [महिला बदायूँ।	बदायूं	42.00	21.00
		योग —	401 04	199.60

3— उक्त निर्माण कार्य तभी प्रारम्भ किया जाय जब स्वीकृत लागत के अन्दर बने विस्तृत आगणन पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान कर दी जाय।

4-- उपर्युक्तानुसार होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 1991-92 के आय व्ययक में प्रथमत: लेखाशीर्षक "8000 —राज्य आकस्मिकता निधि तथा अन्तत: अनुदान संख्या—75 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक —4202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय आयोजनागत —01—सामान्य शिक्षा—600—सामान्य—01—केन्द्रीय आयोजनागत—केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं—भवन निर्माण—0101—जिला शिक्षा एव प्रशिक्षण संस्थान हेतु भवनों का निर्माण गाजियाबाद, रामपुर, ललितपुर, मुज्जफ्फरनगर, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, फतेहपुर, बाराबंकी कानपुर नगर, जौनपुर तथा बदायूं जनपदों के भवनों, छात्रावासों तथा क्वाटरों का निर्माण के नामे डाला जायेगा तथा इस सम्बन्ध में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि प्राप्ति शीर्षक 1601/- केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान—03—केन्द्रीय आयोजनागत की····· योजनाओं के लिए अनुदान-22—सार्वजनिक निर्माण विभाग 2201—शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जमा की जायेगी।

भवदीय
जयराम सिंह
उप सचिव

वित्त विभाग

संख्या ई—8—सी·एफ./373/दस—92 दिनांक 24-3-92

उपर्युक्त की प्रतिलिपि महालेखाकार, उ. प्र., इलाहाबाद क सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवा ही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से
(ध्रुव नारायण तिवारी)
संयुक्त सचिव

शिक्षा विभाग

संख्या—375[1]/15[13]/92—1499 [79]/90 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, प्रथम, ए. एण्ड ई. उ. प्र. इलाहाबाद
2— उपसचिव भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
3— शिक्षा निदेशक, माध्यमिक एवं बेसिक उ० प्र० शिविर कार्यालय, लखनऊ
4— शिक्षा [3] अनुभाग 1
5— कोषाधिकारी, लखनऊ
6— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—8
7— वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग 1
8— नियोजन —4
9— निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ. प्र., लखनऊ

आज्ञा से
[**जयराम सिंह**]
उप सचिव

संख्या—621/15[13]/92-1499[44]/90

प्रेषक,

जयराम सिंह,
उपसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता [भवन]
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

शिक्षा [13] अनुभाग | लखनऊ : दिनांक : 27 मार्च, 1992

विषयः- केन्द्र पुरोनिधानित "जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना" योजनान्तर्गत प्रथम चरण में प्रदेश के 11 जनपदों में संचालित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान/राजकीय दीक्षा विद्यालयों के प्रागंण में उपलब्ध भूमि पर भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद- उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक रा०शै०/11811-13/91-92, दिनांक 3 जनवरी-1992 तथा शासनादेश संख्या 259/15[13]/89-1499 [46]/87- दिनांक 28 मार्च - 1989 के बिन्दु - 3 के सातत्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय केन्द्र पुरोनिधानित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना योजना के प्रथम चरण में निम्नलिखित विवरणानुसार प्रदेश के लखनऊ- उन्नाव-बरेली- पीलीभीत- झाँसी- हमीरपुर- बहराइच वाराणसी- बलिया- आगरा तथा मथुरा जनपदों में संस्थान के भवनों के निर्माणार्थ अपेक्षित रु0 3-79-87-800 की धनराशि में से अवशेष रही रु0 16,35, 800/- की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैः—

क्र०सं०	क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान राजकीय दीक्षा विद्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण	जनपद	कार्य की स्वीकृति लागत	वर्ष 1988-89 में की गई अवमुक्त धनराशि	वर्ष 1991-92 में व्यय किये जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
1-	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	लखनऊ	40, 49,800	38.49,800	2'00,000

2-	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान		उन्नाव	32,18,000	31,18,000	1,00,000
3-	,, ,,	फरीदपुर	बरेली	35,24,000	33,24,000	2,00,000
4-	,, ,,	बीसलपुर	पीलीभीत	27,82,500	26,82,500	1,00,000
5-	,, ,,	बरुआसागर	झाँसी	33,30,900	31,30,900	2-00,000
6-	,, ,,	चरखारी	हमीरपुर	49-76-000	47-58-100	2-17-900
7-	,, ,,	पयागपुर	बहराइच	31-21-700	30-21-700	1-00-000
8-	,, ,,	सारनाथ	वाराणसी	29-47-900	28-47-900	1-00-000
9-	,, ,,	पकवाईनार	बलिया	22-11-000	21-11-000	1-00-000
10-	,, ,,		आगरा	35-42-000	34-42-000	1-00-000
11-	,, ,,	बाद	मथुरा	42-84-000	40-66-100	2-17-900
			योग	3,79,87,800	3,63,52,000	16,35,800

रु0 सोलह लाख पैंतीस हजार आठ सौ मात्र

2- उपर्युक्तानुसार होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 1991-92 के आयव्ययक के अनुदान संख्या-75 के लेखाशीर्षक 4202- शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत -01 सामान्य शिक्षा - 600-सामान्य-01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-0103- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों हेतु जनपद बलिया, वाराणसी, लखनऊ, झाँसी, पीलीभीत बरेली, आगरा हमीरपुर, उन्नाव, बहराइच तथा मथुरा में भवनों का निर्माण के नामे डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है जो उनकी अशासकीय संख्या ई08/759- दस/92, दिनाँक 23 मार्च, 1992 के द्वारा प्राप्त हुई है।

भवदीय

(जयराम सिंह)
उप सचिव।

संख्या 621[1]/15[13]/92-1499[44]/90 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1- महालेखाकार, प्रथम, ए० एन्ड ई०, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- उप सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय [शिक्षा विभाग] शास्त्रीभवन नई दिल्ली।

3- शिक्षा निदेशक, माध्यमिक एवं बेसिक, उ०प्र० लखनऊ।

4- शिक्षा (3) अनुभाग,

5- कोषाधिकारी, लखनऊ

6- वित्त [व्यय नियंत्रण] अनुभाग—8,

7- वित्त संसाधन [केन्द्रीय सहायता] अनुभाग

8- नियोजन अनुभाग—4

9- निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ०प्र०, लखनऊ।

आज्ञा से,

(जयराम सिंह)
उप सचिव